बच्चों के संरक्षण की व्यवस्थाएं

एक प्राथमिक दस्तावेज

नियम, कानून और योजनाएं

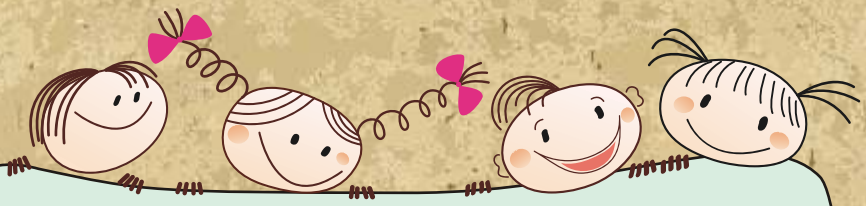

शीर्षक
बच्चों के संरक्षण की व्यवस्थाएं

लेखक
प्रत्यूष मिश्र और सचिन कुमार जैन

संपादन
राकेश कुमार मालवीय

संयुक्त प्रयास – इक्वेशंस, हिफाजत, विकास संवाद, एमपीआईएसएसआर, सीआरटी, सीआरजी, जनउगाही, कैरिटास, इक्पैट (नीदरलैंड)

प्रकाशक – विकास संवाद

पता – ई 7/227, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश

ईमेल – vikassamvad@gmail.com

वर्ष – 2015

प्रतियां – 5,500

डिजाइन – अमित सक्सेना

मुद्रक – श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स
एस.बी.–2, लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ,
एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल

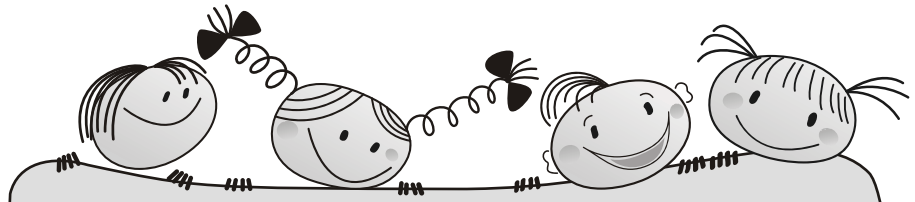

इस पुस्तक में शामिल है

▸▸	यह किताब क्यों ?	I
▸▸	बच्चों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है ?	II
▸▸	भारत का संविधान	V
1.	संयुक्त राष्ट्र का बच्चों के अधिकार का घोषणा पत्र	1
2.	बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	3
3.	यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012	6
4.	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000	10
5.	बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976	14
6.	कारखाना अधिनियम, 1948	15
7.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	16
8.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	18
9.	बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986	20
10.	भारतीय दंड संहिता, 1860	23
11.	अनैतिक मानव दुर्व्यापार कानून, 1956	26
12.	सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000	28
13.	चाइल्ड लाइन (फोन नं. 1098)	29
14.	विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण समिति	30
15.	बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	33
16.	गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994	35
17.	सुरक्षित व सम्मानजनक पर्यटन के लिए कोड (इक्पेट)	39
18.	पर्यटन के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संहिता (भारत सरकार)	40
19.	ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं ?	42

i यह किताब क्यों?

बच्चों से संबंधित सारी बातें, नियम कायदे, कानून की किताबों में पहले से ही दर्ज हैं, तो फिर एक और पुस्तिका क्यों? इस सवाल को खोजते हुए जब हम अपने आसपास देखते हैं, खोजते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो दो चीजें सामने आती हैं, पहली, बच्चों से संबंधित कोई नियम-कानून खोजा जाए तो उसकी भाषा सामान्यतः कठिन होती है। और दूसरी बच्चों के संबंध में ढेर सारे अलग-अलग कानून, नियम-अधिनियम और दिशा निर्देश तो मौजूद हैं, पर वह एक जगह उपलब्ध नहीं हैं। तो इस नजरिये से हमारे दो ही मकसद हैं, पहला, यदि कोई बच्चों के मुद्दों पर काम कर रहा हो तो उसे सरल भाषा में एक दस्तावेज मिल सके, और एक ही पुस्तिका में मिल सके। वह प्राथमिक रूप से यह जान-समझ सके कि बच्चों से संबंधित काम करने के लिए वह कानूनी माध्यम से किस तरह लड़ सकता है। कानून को सरल हिन्दी में लिखना सचमुच एक चुनौती है, लेकिन इसे स्वीकार करते हुए हमने यह करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं यह आपको उपयोगी लगेगी। लेकिन इस स्पष्टता के साथ कि जहां आपको गहराई के साथ किसी विषय में जाना है, तो उसके लिए विस्तृत कानूनी प्रावधानों को जानना जरूरी है।

बच्चों के मुद्दे : यह बात बेहद चिंताजनक है कि बच्चों के मुद्दे तब तक मुख्यधारा के समाज, मुख्यधारा की राजनीति और मुख्यधारा की मीडिया में पर्याप्तता से नहीं उभरते। जब तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आ जाए जिसके कारण सनसनी बनती हो, खबर बनती हो या मुद्दा बनते हों। प्रतिप्रश्न यह भी हो सकता है कि आखिर क्यों मुद्दा या खबर बनें? हमारा मानना है कि वह इसलिए कि बच्चों की स्थितियां देश में ठीक नहीं हैं, वह पीड़ित हैं। दुःखद यह है कि उनकी पीड़ा को हमारे समाज का एक सामान्य हिस्सा मान लिया गया है। जैसे, क्या किसी होटल पर काम करता हुआ बच्चा, किसी घर में पोंछा लगाती हुई बच्ची कितनों को नजर आती है? बहुतों को नहीं। क्या पर्यटन स्थलों पर शोषण का शिकार होते बच्चे किसी को नजर आते हैं? नहीं। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि बच्चों के मुद्दों पर केवल नियम, कायदे, कानून ही नहीं बनें बल्कि उनके प्रति एक संवेदनशील नजरिया भी बने।

पर्यटन क्षेत्र में बच्चों का विशेष ध्यान क्यों : जब हम पर्यटन क्षेत्र में बच्चों के शोषण की बात करते हैं तब हमारे सामने कोई विशेष नियम और प्रावधान नहीं आते। पर्यटन क्षेत्र भी वैसे ही कानून के दायरे में आते हैं, जैसे कि अन्य। जबकि पर्यटन क्षेत्र इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वहां पर लोगों के आने-जाने का सिलसिला अन्य क्षेत्रों से अधिक तीव्र होता है। वहां पर देसी-विदेशी लोग आते हैं। इन परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि वहां बाल मजदूरी से लेकर बच्चों से कई तरह के अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं। इस काम के लिए बच्चों को बाहर से लाया जाता है, क्योंकि उनका श्रम सस्ता होता है और वे मुनाफे के सौदागर साबित होते हैं। इसलिए केवल पर्यटक पुलिस की एक नयी संज्ञा रच देने से समस्या दूर नहीं होगी। बच्चों के संरक्षण से संबंधित सारे ढांचों को वहां विशेष रूप से सक्रिय करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह पुस्तिका इस विषय से सरोकार रखने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी, यही उम्मीद है।

सम्पादकीय समूह

ii बच्चों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?

स्थिति पर एक नजर

बच्चों का अपहरण

भारत में वर्ष 2009 में बच्चों के अपहरण के 8945 प्रकरण दर्ज किए गए थे। यह संख्या तब से लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2010 में 10670, वर्ष 2011 में 15285, वर्ष 2012 में 18266, वर्ष 2013 में 28167 घटनाएं दर्ज की गयीं। सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 में अपहरण के 37854 मामले दर्ज हुए। **(स्रोत - राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के प्रतिवेदन - वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक)**

बच्चों के साथ बलात्कार

भारत में वर्ष 2014 में बच्चों के साथ बलात्कार के 13766 मामले दर्ज हुए। इसके पहले के वर्षों में ऐसा दिखता है कि बच्चे लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। वर्ष 2009 में बच्चों के साथ बलात्कार के 5368 दर्ज हुए थे। इसके बाद के वर्षों में यह संकट बढ़ता गया। वर्ष 2010 में 5484, वर्ष 2011 में 7112, वर्ष 2012 में 8541और वर्ष 2013 में 12363 मामले दर्ज किए गए।

(स्रोत - राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के प्रतिवेदन - वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक)

बाल विवाह

- देश में जनगणना 2011 के समय कुल 12107181 लोग ऐसे थे, जिनका विवाह कानूनी उम्र के पहले हो चुका था। इनमें से 5157863 (42.6%) महिलाएं और 6949318 (57.4%) पुरुष थे।
- जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सबसे ज्यादा विवाहित बच्चे उत्तरप्रदेश (23,30,949), राजस्थान (12,91,700), बिहार (12,09,260), पश्चिम बंगाल (924425), मध्यप्रदेश (891811) और गुजरात (775342) थे। इन छह राज्यों में भारत के 61.3 प्रतिशत बाल विवाहित रह रहे थे। **(स्रोत - जनगणना 2011)**

बाल श्रम

- भारत में 5 से 14 साल के बच्चों की कुल संख्या 25.96 करोड़ है। इनमें से 1.01 करोड़ बच्चे श्रम करते हैं, यानी कामगार की भूमिका में हैं।
- जनगणना 2011 से पता चलता है कि 1.01 करोड़ बच्चों में से 43.53 लाख बच्चे मुख्य

कामगार के रूप में, 19 लाख बच्चे तीन माह के कामगार के रूप में और 38.75 लाख बच्चे 3 से 6 माह के लिए कामगार के रूप में काम करते हैं।

- उत्तरप्रदेश (21.76 लाख), बिहार (10.88 लाख), राजस्थान (8.48 लाख), महाराष्ट्र (7.28 लाख) और मध्यप्रदेश (7 लाख) समेत पांच प्रमुख राज्यों में 55.41 लाख बच्चे श्रम में लगे हुए हैं। **(स्त्रोत - जनगणना 2011)**

किशोरी बालिकाएं

- ऐसी किशोरी बालिकाएं, जो कमजोर और कुपोषित हैं – 44.7 प्रतिशत

(स्त्रोत-रेपिड सर्वे आन चिल्ड्रन, महिला और बाल विकास मंत्रालय; 2013-14)

कम उम्र में माँ बनना

- भारत में 19 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की कुल संख्या 23.46 करोड़ है। जिनमें से 1.3 करोड़ (5.6 प्रतिशत) लड़कियों का विवाह हो चुका है।
- इनमें से 38 लाख (29 प्रतिशत) से ज्यादा लड़कियां माँ बन चुकी थीं। क्या इससे साबित नहीं होता कि विवाह हो जाने के बाद प्रजनन स्त्री का एक अनिवार्य कर्तव्य बना दिया जाता है। यह कर्तव्य उसके जीवन को सबसे ज्यादा खतरे में डालता है।
- 19 वर्ष से कम उम्र में लड़कियां 60.14 लाख बच्चों को जन्म दे चुकी थीं।
- 9.26 लाख लड़कियां 19 वर्ष की उम्र तक दो बच्चों की माँ बन चुकी थीं।
- भारत में 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में कुल 5.65 करोड़ लड़कियां थी। जिनमें से 1.12 करोड़ का विवाह हो चुका था।
- 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की जिन 1.12 करोड़ लड़कियों का विवाह हुआ था, उनमें से 33.5 लाख लड़कियां माँ बन चुकी थीं। **(स्त्रोत - जनगणना 2011)**

गर्भवती महिलाएं

- 63.4 प्रतिशत महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान तीन या इससे ज्यादा बार जाँच हुई।
- 31.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की 100 गोलियाँ मिलीं।
- ऐसी महिलाएं जिनकी गर्भावस्था के दौरान तीन बार जांच हुई, टिटनेस का टीका लगा और जिन्होंने आयरन फोलिक एसिड 100 गोलियाँ खायीं – 19.7 प्रतिशत।

(स्त्रोत - रेपिड सर्वे आन चिल्ड्रन, महिला और बाल विकास मंत्रालय; 2013-14)

नवजात शिशु

- बच्चे, जिनके जन्म का पंजीयन हुआ – 72 प्रतिशत

- बच्चे, जिन्हें जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र मिला – 37.2 प्रतिशत
- बच्चे का जन्म के 24 घंटे के भीतर वजन हुआ – 68.7 प्रतिशत
- 12 से 23 महीने के बच्चे, जिनका पूरा टीकाकरण हुआ – 65.3 प्रतिशत
- जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का दूध मिला – 44.6 प्रतिशत
- 0 से 5 माह के बच्चे, जिन्हें केवल स्तनपान का अवसर मिला – 64.9 प्रतिशत
- 6 से 8 महीने के बच्चे, जिन्हें ऊपरी आहार मिलना शुरू हुआ – 50.5 प्रतिशत
- 3 साल के बच्चे की माएँ, जिन्हें पता है कि आंगनवाड़ी से पोषण–स्वास्थ्य शिक्षा मिलती है – 17.2 प्रतिशत **(स्रोत - रेपिड सर्वे आन चिल्ड्रन, महिला और बाल विकास मंत्रालय; 2013-14)**

श्रम

- भारत में 121 करोड़ में से 36.25 करोड़ लोग मुख्य कामगार हैं। इनमें से 8.93 करोड़ महिलाएं हैं।
- भारत में 15.98 करोड़ महिलाएं अपने मुख्य काम के रूप में घरेलू जिम्मेदरियों को निभाती हैं।
- अभी 5.55 करोड़ लोग काम की तलाश में हैं। **(स्रोत - जनगणना 2011)**

पोषण की कमी का असर

- नाटे या ठिगने रहने वाले बच्चे – 38.7 प्रतिशत (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई/लम्बाई)
- दुबलेपन के शिकार बच्चे – 15.1 प्रतिशत (ऊंचाई/लम्बाई के हिसाब से कम वजन)
- कम वजन के बच्चे – 29.4 प्रतिशत (उम्र के हिसाब से कम वजन)

(स्रोत - रेपिड सर्वे आन चिल्ड्रन, महिला और बाल विकास मंत्रालय; 2013-14)

स्कूल पूर्व शिक्षा

भारत में 3 से 6 वर्ष की उम्र में 9.94 करोड़ बच्चे हैं, इनमें से 2.4 करोड़ बच्चे ही किन्ही शैक्षणिक संस्थान में हैं। यानी 76 प्रतिशत बच्चे स्कूल–पूर्व शिक्षा से वंचित हैं। **(स्रोत - जनगणना 2011)**

iii भारत का संविधान

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के निहितार्थ है एक सार्वभौमिक राष्ट्र का निर्माण जिसमें स्वतंत्रता, न्याय और बराबरी सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के हो। संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है तथा इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी शामिल है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किए गए कई निर्णयों में बच्चों की सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा अधिकारों को विस्तार से बताया तथा स्थापित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) में वर्ष 6 से 14 तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, इसी अनुच्छेद के परिपालन हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम को बनाया गया। (अनुच्छेद 24,) 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के खतरनाक कामों में रखने से रोकता है। अनुच्छेद 39 (इ) किसी भी व्यक्ति (बच्चे भी) को ऐसे किसी भी काम को जबरदस्ती करने (जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो) को रोकता है। अनुच्छेद 39 (एफ) हर बच्चे की स्वस्थ तथा अनुकूल वातावरण में परवरिश पर जोर देता है, साथ ही बच्चों की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की रक्षा को भी प्राथमिकता देता है, साथ ही उसके शोषण का विरोध करता है। इसके साथ ही सभी बच्चों को भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह ही समानता का अधिकार, भेदभाव के विरोध में अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 15 (3) सरकार को बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और विकास आदि के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों के विवरण से यह स्पष्ट है कि संविधान की मंशा बच्चों के हित एवं सर्वांगीण विकास की है, जिसे चरितार्थ करना सरकारों एवं समाज का दायित्व है। हमारा देश किन सिद्धांतों का पालन करेगा? हमारे यहाँ शासन के मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे? हमारी व्यवस्था में कौन-कौन से हिस्से होंगे? उनकी जिम्मेदारियां और दायित्व क्या होंगे? यदि कहीं कोई सुधार की जरूरत है, तो वे सुधार कैसे किए जाएंगे? इन सब बातों का उल्लेख जिस किताब में है उसी किताब को संविधान कहते हैं। दूसरे अर्थों में संविधान एक अच्छी व्यवस्था को बनाने के लिए तय किए गए सिद्धांतों, नियमों, काम करने की प्रक्रिया, दायित्वों और अधिकारों को परिभाषित करने वाली किताब है। जिसका पालन

करना हमारे समाज और सरकार दोनों के लिए जरूरी है। कैसा समाज बनाना चाहते हैं हम? हमारे संविधान की किताब में सबसे पहले ये शब्द लिखे हुए हैं – ''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

संविधान के मकसद

- संविधान का मकसद एक ऐसी लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष व्यवस्था का निर्माण करना रहा है जो लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गैर बराबरी को मिटाए।
- एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो।
- हर नागरिक स्वतंत्र हो।
- बच्चों, महिलाओं, वंचित तबकों, किसानों, मजदूरों और उपेक्षितों को गरिमामय जीवन का हक मिले।
- पर्यावरण का संरक्षण हो और संसाधनों का अहितकारी वितरण न हो।
- हम ऐसी व्यवस्था बना सकें, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं।
- किसी किस्म की निरंकुशता न हो और एक लक्ष्य समाज के निर्माण में राज्य और नागरिक दोनों अपनी भूमिकाएं निभाएं।

1 संयुक्त राष्ट्र का बच्चों के अधिकार का घोषणा पत्र

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सम्मेलन 1991 का सहभागी है। इसमें बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के घोषणा पत्र को ग्राह्य किया है। भारत कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 का भी सदस्य है। इस कन्वेन्शन के अनुसार समस्त हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने अनिवार्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र का यह अधिवेशन सम्बंधित राष्ट्रों के लिए एक बंधनकारी अधिवेशन है। बच्चों के अधिकारों को इसमें समग्रता से समाहित करते हुए, कई विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए थे। इस अधिवेशन के मुख्यत: चार सिद्धांत हैं– जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, भागीदारी का अधिकार। साथ ही सीआरसी बच्चों की सुरक्षा तथा विकास एवं अधिकारों के लिए राष्ट्र द्वारा विशिष्ट कानूनों के निर्माण को भी महत्व देता है।

इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षरी होने के नाते भारत में भी इसके परिपालन हेतु कई कानून एवं दिशा निर्देश बनाए गए हैं। बच्चों के प्रति अपराधों एवं उनके विकास से संबंधित कई अन्य विशिष्ट विधान यह हैं –

बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए परामर्शी पत्र निम्नलिखित हैं -

- दिनांक 14.07.2010 को जारी बच्चों के अपराध से संबंधित परामर्शी पत्र ।
- दिनांक 04.01.2012 को जारी बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों की रोकथाम और उनका मुकाबला करने से संबंधित परामर्शी पत्र।
- लापता बच्चे-बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाने तथा बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक उपाय विषयक परामर्शी पत्र दिनांक 31.01.2012 और 29.10.2012 को जारी किए गए।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2013 से संबंधित परामर्शी पत्र दिनांक 28.05.2013 को जारी किया गया।
- लापता बच्चों के मामलों में अनिवार्य रुप से प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर आधारित परामर्शी पत्र दिनांक 25.06.2013 को जारी किया गया।
- ये परामर्शी पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट http//www.mha.nic.in/national_adv पर उपलब्ध हैं।

1. बाल श्रम निषेध (निवारण एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

2. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में यथा संशोधित) और भारतीय दंड संहिता की संगत धाराएं
4. बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005
5. बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
6. बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 आदि
7. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
8. बच्चों का यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिनियम, 2006
9. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, 2000)
10. कारखाना अधिनियम, 1948
11. एकीकृत बाल संरक्षण योजना
12. भारतीय दंड संहिता, 1860
13. चाइल्ड लाइन 1098
14. गर्भ धारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)अधिनियम, 1994

ऊपर उल्लिखित विधानों में बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित सभी पहलू भी व्यापक रूप से शामिल हैं।

इंटरनेट की दुनिया में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम भारत में है यहाँ हर दस में से 3 बच्चे इसका किसी न किसी तरह शिकार हो रहे हैं।

2 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल-विवाह भारत की विकराल समस्याओं में से एक है। इसका कारण यहाँ का सामाजिक एवं आर्थिक ताना-बाना है। बाल विवाह तो अपने आप में एक समस्या है ही, इससे जुड़े कई और पक्ष भी हैं, बाल-विधवा, अशिक्षा, कम उम्र में माँ बन जाना, बदतर स्वास्थ्य, कम उम्र में तलाक आदि। देश में बाल विवाह रोकने के लिए 2006 में कानून बनाया गया। इसे बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का नाम दिया गया है। इस कानून के पहले बाल-विवाह रोकने के लिए भारत में बाल-विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 सक्रिय था। नए अधिनियम में बाल-विवाह को अपराध मानते हुए इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा का भी प्रावधान है।

अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को बच्चा (चाइल्ड) माना गया है (यहाँ बालक का अर्थ बालक एवं बालिका दोनों से है)। अधिनियम की धारा 2-ब में बाल-विवाह को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा विवाह जिसमें से दोनों में से कोई एक पक्ष बालक हो।

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल-विवाह, विवाह के समय जो पक्ष बच्चा था उसकी इच्छानुसार शून्य या खत्म कराया जा सकता है, परन्तु इसके लिए याचिका बालक के वयस्क होने के दो वर्ष के अंदर ही दायर की जा सकती है। अगर बालक वयस्क नहीं है तो याचिका में बालक के संरक्षक या वाद-मित्र एवं बाल विवाह संरक्षक अधिकारी का होना आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ऐसे अवयस्क बालक का विवाह शून्य है जिसे बहला-फुसलाकर या बलपूर्वक उनके पालक/संरक्षक से दूर कर विवाह कराया जाता है। इसके साथ ही ऐसे भी विवाह शून्य माने जायेंगे जिसमें किसी बालक या बालिका को खरीद कर विवाह कराया जाता है।

धारा 4 में न्यायालय को महिला के भरण-पोषण एवं निवास के लिए उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। अगर पुरुष बालक है तो महिला उसके संरक्षक या पालक से भरण-पोषण पाने की अधिकारी होगी। बाल-विवाह से उत्पन्न बच्चे को वैधानिक बच्चा माना गया है तथा न्यायालय को उसके भरण-पोषण एवं संरक्षण के लिए उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। साथ ही परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय अपने निर्णय को बदल भी सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत सजा के यह प्रावधान हैं –

1. अगर वयस्क पुरुष (18 वर्ष से अधिक उम्र का) बाल–विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड हो सकता है।
2. किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर बाल–विवाह करने/कराने में सहयोग किया जाता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
3. किसी भी पालक या संरक्षक द्वारा अगर बाल–विवाह को बढ़ावा या उसके लिए स्वीकृति दी जाती है तो अधिनियम के अंतर्गत यह भी अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। **इस अपराध के लिए किसी भी महिला को दण्डित नहीं किया जा सकता।**
4. किसी भी संस्था या उसके सदस्य द्वारा अगर बाल–विवाह को बढ़ावा या उसके लिए स्वीकृति दी जाती है तो अधिनियम के अंतर्गत यह भी अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, **परन्तु इस अपराध के लिए किसी भी महिला को दण्डित नहीं किया जा सकता।**

सक्षम न्यायालय एवं उनकी शक्तियां –

1. इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों को सुनाने का अधिकार कुटुंब न्यायालय (फैमिली कोर्ट) को है।
2. अगर कहीं कुटुंब न्यायालय नहीं है तो वह न्यायालय जिसे अधिसूचना द्वारा इन मामलों पर न्याय करने का अधिकार दिया हो।

यह शक्तियां दी गयी हैं –

1. बाल–विवाह होने वाला है या होने की संभावना है तो उसे रोकने के लिए आदेश पारित कर सकता है।
2. सामूहिक बाल–विवाह को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट को बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी माना जाता है, और उसे उचित बल प्रयोग द्वारा भी सामूहिक बाल–विवाह रोकने का अधिकार होता है।
3. बाल–विवाह को शून्य घोषित करना का अधिकार।
4. बाल–विवाह करने वाली महिला के भरण–पोषण का आदेश पारित कर सकते हैं।
5. बाल–विवाह से उत्पन्न संतान के भरण–पोषण/ अभिरक्षा देने का अधिकार।

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी -

शासन द्वारा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि द्वारा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी को कानून के पालन में मदद की जाने का भी प्रावधान है।

कार्य -

1. बाल-विवाह को रोकना।
2. इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना।
3. बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता लाना।
4. बाल-विवाह के सम्बन्ध में जरूरी आंकड़े रखना।

यह है बाल विवाह की स्थिति

बाल विवाह को खत्म करने को जो चाहे दावे किए जा रहे हों, लेकिन जनगणना 2011 के विश्लेषण में जो आंकड़े निकलकर आए हैं वह कुछ और ही तस्वीर बता रहे हैं। पिछले दिनों देश में विवाहित लोगों की स्थिति के बारे में जनगणना विभाग की वेबसाइट पर आए आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि मध्यप्रदेश में तकरीबन 9 लाख लोगों की शादी तय उम्र से पहले ही हो गई। यानी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले और लड़कियों की शादी 21 साल से पहले। देश में ऐसे 1 करोड़ 21 लाख लोग निकले। इसमें तकरीबन सत्तर लाख लड़के और 51 लाख लड़कियां शामिल हैं। यही नहीं 10 से 14 साल की उम्र में शादी करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है।

जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सबसे ज्यादा विवाहित बच्चे उत्तरप्रदेश (2330949), राजस्थान (1291700), बिहार (1209260), पश्चिम बंगाल (924425), मध्यप्रदेश (891811) और गुजरात (775342) थे। इन छह राज्यों में भारत के 61.3 प्रतिशत बाल विवाहित रह रहे थे।

बाल विवाह केवल बच्चों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था में आधिपत्य की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ तो यह बच्चों के बहुआयामी विकास और व्यक्तित्व निर्माण को नकारात्मक रुप से प्रभावित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में लैंगिक और सामाजिक बराबरी लाने की राह में रोड़ा भी है। हमारे यहां कानून बहुत बनते हैं, पर उनका क्रियान्वयन अक्सर निष्ठा को दरकिनार करके किया जाता है। जनगणना 2011 के मुताबिक जनगणना के समय मध्यप्रदेश में 891811 लोग (बच्चे) ऐसे हैं जिनकी उम्र विवाह की कानूनी उम्र से कम थी, परन्तु वे विवाहित थे। इसी तरह 29441 बच्चे ऐसे थे, जो विधवा/विधुर, अलग हुए हैं।

Data Source :
http://www.censusindia.gov.in

3 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012

भारत में इस कानून के बनने से पहले बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। यह एक व्यापक कानून है जो कि लैंगिक अपराधों, लैंगिक उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य से बच्चों के संरक्षण के साथ ही विशिष्ट न्यायालयों का गठन एवं सरल प्रक्रिया प्रदान करता है। कानून के द्वारा अलग-अलग लैंगिक अपराधों को परिभाषित किया गया है, साथ ही इसका दायरा विस्तृत किया है। भारत में बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार/शोषण (मानसिक तथा शारीरिक) को समझाने एवं परिभाषित करने के लिए तथा इन समस्याओं के निदान के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था, बच्चों से जुड़े अपराध भारतीय दंड संहिता, किशोर न्याय अधिनियम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून आदि के अंतर्गत आते थे, इसलिए इस नए कानून की आवश्यकता पड़ी। भारत कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन का हस्ताक्षरी भी है, यह कानून उसे पूरा करने की ओर के कदम है।

1. अपराधों का वर्गीकरण

1. **प्रवेशन लैंगिक हमला (penetrative sexual offence) :** धारा 3 में वर्णित इस अपराध का अर्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे के मुंह, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग में अपने शरीर के किसी भाग को डालना या बच्चे द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसी क्रिया करवाना। इस अपराध की सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास एवं हर्जाना है।
2. **गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (aggravated penetrative sexual offence) :** धारा 3 में वर्णित अपराध का किसी भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में करना। इस अपराध की सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास एवं हर्जाना है।
3. **लैंगिक हमला (sexual assault) :** लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला से इस मायने में भिन्न है कि लैंगिक हमले में व्यक्ति के किसी भी भाग का प्रवेश बच्चे में नहीं होता वरन् बदनीयती से बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना होता है। इस अपराध की सजा 3 से 5 वर्ष कारावास एवं हर्जाना है।
4. **गुरुत्तर लैंगिक हमला (aggravated sexual assault) :** धारा 7 में वर्णित

अपराध का किसी भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में करना। इसकी सजा 5 से 7 वर्ष कारावास एवं हर्जाना है।

5. **लैंगिक उत्पीड़न (sexual harassment) :** धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ किसी भी बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील संकेत देना, अश्लील आवाज निकालना, अश्लील फिल्म या तस्वीरें दिखाना आदि है। इस अपराध की सजा 3 वर्ष तक का कारावास एवं हर्जाना है.

6. **बच्चों को अश्लील फिल्मों (pornography) के लिए उपयोग करना :** इस अपराध की सजा 5 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना है।

7. **बच्चों की अश्लील फिल्मों का संग्रह :** ऐसी फिल्मों का संग्रह करने पर 3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

2. मामलों की रिपोर्ट करना

धारा 19 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति (अवयस्क भी) जिसे इस कानून के अंतर्गत हो रहे किसी भी अपराध की जानकारी है, उसकी सूचना बाल कल्याण अधिकारी (जो कि हर पुलिस थाने में पदस्थ होना चाहिए) या स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक है। ऐसी दी गई हर जानकारी को एक विशिष्ट क्रमांक अंकित कर रजिस्टर में सामान्य भाषा में दर्ज करना आवश्यक है। साथ ही उसे सामान्य भाषा में बच्चे को समझाना भी आवश्यक है। ऐसे सभी मामलों की जानकारी 24 घंटे में विशिष्ट न्यायालय में एवं बाल कल्याण समिति (सी.डब्यू.सी.) में देना जरूरी है।

3. मीडिया

धारा 25 के अनुसार किसी भी प्रकरण में बच्चे का नाम, पता, फोटो जैसी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा खबरों में करना अपराध है, साथ ही अधूरी या अपुष्ट खबरों का प्रकाशन भी। यदि इसका उल्लंघन होना पाया जाता है तो 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. पोक्सो और किशोर न्याय अधिनियम

- इन कानूनों के अंतर्गत दायर होने वाले समस्त प्रकरणों की जानकारी बाल कल्याण समिति (CWC) को देना आवश्यक है, तथा निम्नलिखित प्रकरणों में बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है–

1. अगर बच्चे के साथ अपराध एक ही या साझे घर में रहने वाले व्यक्ति ने किया हो।
2. बाल गृह आश्रय गृह या ऐसे गृह जो कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आते हों अथवा सामाजिक न्याय विभाग की ओर से संचालित होते हों, में रहता हो।
3. बच्चा माँ–पिता के साथ नहीं रहता हो। इन मामलों में बाल कल्याण समिति की यह

जवाबदारी है कि वह यह तय करे कि क्या बच्चा घर में सुरक्षित है? अगर नहीं तो क्या बच्चे को आश्रय गृह में रखना चाहिए?

5. बच्चे के बयान लेना

बच्चे के बयान लेने में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 157 का उपयोग होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बयान बच्चे के पालक या अन्य किसी व्यक्ति (जिस पर बच्चा भरोसा करता हो) की उपस्थिति में ही लिए जा सकते हैं, तथा जरुरत पड़ने पर उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। बयान के वक्त पुलिस अधिकारी गणवेश में नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपराधी से दूर रखना होगा एवं किसी भी प्रकार से उसके संपर्क में नहीं आने देना होगा।

6. विशिष्ट न्यायालय

विशिष्ट न्यायालयों का गठन राज्य सरकारों द्वारा गजट नोटिफिकेशन द्वारा होगा, एवं जहाँ विशिष्ट न्यायालय नहीं हो वहां मामलों की सुनवाई वह न्यायालय करेगी, जिसे इसका अधिकार दिया हो।

7. चिकित्सीय परामर्श

चिकित्सीय परामर्श आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (अ) के अनुसार होगा, यह एफआईआर लिखे जाने के पूर्व भी हो सकता है। इसे महिला चिकित्सक द्वारा किया जाना अनिवार्य है। चिकित्सीय परामर्श के समय बच्चे के पालक या ऐसे व्यक्ति, जिस पर बच्चा भरोसा करता हो, का मौजूद होना आवश्यक है।

बढ़ रहे हैं बच्चों के प्रति अपराध

देश में बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में बताया गया है कि साल 2012 और 2013 में बच्चों के प्रति अपराधों के क्रमशः कुल 38,172 और 58,224 मामले दर्ज किए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 52.5 प्रतिशत अधिक है।

सरकार ने इस बढ़ोत्तरी के पीछे जो तर्क प्रस्तुत किए उसमें कहा गया कि वर्ष 2013 के दौरान दर्ज हुए मामलों में अत्यधिक वृद्धि, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के लागू किए जाने के कारण हो सकती है, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा मामलों को दर्ज न करना भारतीय दंड संहिता की धारा 166 (क) के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने दिनांक 25.06.2013 को, लापता बच्चों के मामलों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी पत्र जारी किया है।

इसका आशय यह भी है कि इन निर्णयों के पहले तक बच्चों के प्रति अपराध तो होते थे, लेकिन उन्हें दर्ज नहीं किया जाता था। हालांकि बच्चों के प्रति अपराधों को संविधान का हवाला देते हुए राज्य का विषय अधिक बताया गया। जवाब में कहा गया कि

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, बच्चों के प्रति अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाना, उन्हें दर्ज करना, उनकी जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्र सरकार बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है और विभिन्न योजनाओं, परामर्शी पत्रों आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का संवर्धन करती है।

गृह मंत्रालय ने बच्चों के प्रति अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विधान एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं। दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 दिनांक 03 फरवरी, 2013 से लागू है। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं को संशोधित किया है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, घूरने, तेजाब से हमलों, शब्दों और अनुचित स्पर्श आदि जैसे अभद्र व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में तेजाब से होने वाले हमलों, पीछा करने और घूरने जैसे अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त बलात्कार के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित आर्थिक दंड के प्रावधान मौजूद हैं। दिनांक 14 नवम्बर, 2012 से लागू यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012, यौन उत्पीड़न और शोषण से बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक विशेष कानून है -

- इस कानून के तहत हर पुलिस थाने में बाल कल्याण अधिकारी होना अनिवार्य किया गया है। बाल कल्याण अधिकारी बच्चों से संबंधित हर जानकारी को एक विशिष्ट क्रमांक अंकित कर रजिस्टर में सामान्य भाषा में दर्ज करता है।
- इस अधिनियम की धारा 25 के तहत किसी भी मामले में बच्चों की फोटो, नाम या पहचान उजागर करने वाली जानकारी प्रकाशित करना अपराध है।

कोई भी व्यक्ति जानते, समझते हुए ऐसा कोई कार्य करता है जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे दस साल तक की सजा हो सकती है।

4 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000

बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए सन् 2000 में यह कानून लाया गया। यह कानून संयुक्त राष्ट्र महासभा के 'बाल अधिकार घोषणा पत्र-1989' के परिपालन एवं उसके अनुशासित मानकों को ध्यान में रख कर लाया गया। इसका मकसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 39 (ई) तथा (एफ), 45 एवं 47 में वर्णित उद्देश्यों का परिपालन करना भी था। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा तथा ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उनके पुनर्वास एवं उत्थान करना था।

अधिनियम में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यों को वयस्कों द्वारा किए गए अपराधों से भिन्न मानकर, उन्हें संवेदनापूर्वक देखा जाए एवं निर्णय भी उसी आधार एवं बच्चे के उत्थान हेतु लिए जाए।

धारा 2 (क) के अनुसार वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी ना की हो, किशोर या बच्चा कहलाएगा। 'विधि विवादित किशोर' वह व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो तथा जिसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो।

धारा 2 (डी) के अनुसार देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे वह हैं -

- जिसका कोई घर नहीं हो।
- जो भीख मांगता हो या सड़क पर रहता हो।
- जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता हो जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो।
- किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण पालक या अन्य कोई जिसके साथ बच्चा रह रहा हो उसका पालन करने में असमर्थ हो।
- जिसे उसके पालक या अन्य कोई जिसके साथ बच्चा रह रहा हो, उसने छोड़ दिया हो।
- जिसे सताया या यातना दी जा रही हो या जो नशे की जगह पर हो।
- मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो।
- जिसका उपयोग किसी हथियारबद्ध संघर्ष के लिए किया जा रहा हो।

प्रक्रिया

प्रक्रिया को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विधि विवादित बच्चों के लिए तथा दूसरा, देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए –

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई विधि विवादित कार्य किया हो इस प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा पकड़ने के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय मंडल (Juvenile Justice Board) के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीन सदस्यीय किशोर न्याय मंडल में 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला आवश्यक) होते हैं। किशोर न्याय मंडल प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को सुनवाई करता है। बच्चों को जमानत पर छोड़कर घर भेजने का प्रावधान भी है, परन्तु अगर जमानत नहीं दी जाती है तो बच्चे को सम्प्रेषण गृह में रखा जाएगा और वहीं उससे पूछताछ भी होगी। सम्प्रेषण गृह में अधिकतम 4 माह के लिए रखा जा सकता है।

किशोर न्याय मंडल द्वारा बच्चे के संस्थागत देखभाल के आदेश दिए जाते हैं तो, बच्चे की पूछताछ पूरी होने के बाद यह लगता है कि बच्चे के द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है, जिसे हम विधि का उल्लंघन कह सकते हैं तो उसे विशेष गृह में रखा जाएगा।

देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे –

धारा 2 (डी) में वर्णित बच्चे इस दायरे में आते हैं। ऐसे बच्चों की जानकारी मिलने के 24 घंटों के भीतर उसे बच्चे को बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। सीडब्ल्यूसी में 5 सदस्य होते हैं। इसकी बैठक सप्ताह में दो या तीन बार बालगृह या सरकार द्वारा नियत किसी स्थान पर होती है। बाल कल्याण समिति खोये बच्चे को उसके परिवार को सौंपने या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने का कार्य करती है। दो साल से कम उम्र के बच्चे को जिसके पालकों की तलाश नहीं हो पा रही है बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। वह उसे गोद देने की प्रक्रिया करेगी या किसी ऐसी संस्था को सौंपेगी जो गोद देने का काम करती हो।

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट अनुसार 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिसके पालक की तलाश हो गयी हो पर वे बच्चे को पालने में असमर्थ हों तो ऐसे बच्चे को बाल गृह में रख जाएगा तथा बाल कल्याण समिति आगे उसके बारे में फैसला करेगी।

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट अनुसार ऐसे बच्चे जिसके पालक उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाल गृह में रखा जाएगा और उनके बारे में निर्णय बाल कल्याण समिति लेगी।

विशेष किशोर पुलिस इकाई

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए 2003 के नियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन होना आवश्यक है। यह आम पुलिस से अलग बच्चों के लिए विशेष रूप से गठित इकाई है, जिसका कर्तव्य बच्चों को सहायता प्रदान करना एवं अधिनियम अनुसार बच्चों को सही जगह पहुंचाना है। इस इकाई को चाइल्ड लाइन तथा ऐसे संस्थानों से जो बच्चों के हित में काम करते हैं, से भी संपर्क स्थापित करना आवश्यक है, ताकि उनकी अधिक से अधिक पहुंच बन पाए।

इसी इकाई के अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक बाल या किशोर कल्याण अधिकारी का होना भी आवश्यक है, जो इस अधिनियम के तहत आये मामलों में कार्य करेगा और वह विशेष किशोर पुलिस इकाई का सदस्य होगा। इस इकाई का कार्य बच्चों द्वारा किये अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) लिखना या उन्हें दैनिक रजिस्टर में लिख कर उस पर कार्य करना है, मामलों की विशेष जांच कर रिपोर्ट तैयार करना साथ ही देखभाल एवं जरूरतमंद बच्चों की मदद करना है।

पुलिस तथा कानून से संघर्ष करने वाले बच्चे

किसी भी स्थिति में यह आवश्यक है कि पुलिस बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखे। ऐसे किसी भी अपराध (जिसमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष से अधिक की सजा है) में ही पुलिस कार्यवाही कर सकती है उससे छोटे अपराध में नहीं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष से कम हो पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

किसी भी पुलिस द्वारा अगर बच्चे को अभिरक्षा में लिया जाता है तो उसे तुरंत विशेष किशोर पुलिस इकाई या इस काम के लिए पदस्थ पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करना आवश्यक है, साथ ही उसके पालक को इसकी खबर देना भी। उसके बाद बच्चे पर लगे आरोपों को आसान भाषा में बच्चे को समझाना आवश्यक है। सम्बंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देना भी आवश्यक है ताकि वह बच्चे की संपूर्ण पृष्ठ-भूमि जानकर जरूरी तथ्य जमा कर सके, इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार की यातना देना मना है।

यह भी आवश्यक है कि पुलिस सादे कपड़ों में रहे, बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाए और अगर बच्चा किसी को फोन कर जानकारी देना चाहे तो उसे देने दे। साथ ही बच्चे के इलाज एवं भोजन की उचित व्यवस्था भी करे।

किसी लड़की को रात में पुलिस इकाई में नहीं रख सकती और अगर ऐसी जरूरत हो तो उसे एक महिला पुलिस के साथ रखा जाए। केवल गंभीर प्रकृति के अपराधों में ही एफआईआर रजिस्टर करना होगी, मतलब ऐसे मामले जिनमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। अन्य मामलों में सिर्फ डेली डायरी में जानकारी दर्ज की जाएगी।

देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे

ऐसे किसी भी बच्चे को, जिसे पुलिस ने कहीं से छुड़वाया हो या कहीं से पुलिस के पास आया हो उसे आगे की कार्यवाही के लिए विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपना आवश्यक है। अगर बाल कल्याण समिति की बैठक नहीं हो रही हो तो बच्चे को थाने में नहीं रखकर आश्रय गृह में रखना होगा या चाइल्ड लाइन से संपर्क कर मदद लेनी होगी।

जब तक बच्चा विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी तब तक उसके भोजन आदि जरुरतों की जवाबदारी उस अधिकारी की है।

ऐसा कोई बच्चा जिसे छोड़ दिया गया हो, उसे विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करनी होगी।

बुनियादी काम होने के बाद विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बाल कल्याण समिति द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005

- बेटे और बेटी को समान अधिकार प्राप्त हैं।
- बेटी को भी उतना ही हिस्सा आवंटित किया जाएगा, जितना बेटे को आवंटित होता है।

5 बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

भारत में बंधुआ मजदूरी की समस्या काफी पुरानी है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1976 में भारत में बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के द्वारा भारत में हर तरह का बेगारी और जबरन काम कराना वर्जित है। बंधुआ मजदूरी सीधे तौर पर शोषण से जुड़ी है जिसकी सीमा का आंकलन करना मुश्किल है।

यह कानून बंधुआ मजदूर प्रणाली को परिभाषित करते हुए, इसे वयस्कों एवं अवयस्कों दोनों के लिए ही वर्जित मानता है। धारा 2 (जी) के अनुसार बंधुआ मजदूर प्रणाली वह है जिसमें दबाव डालकर, उधारी खत्म करने के लिए, उधार देकर, अग्रिम पैसा देकर, किसी अनुचित अनुबंध या सामाजिक रीति-रिवाज़ के अंतर्गत जबरदस्ती या अन्य किसी दबाव में कार्य कराया जाता है। इस कानून में बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाने पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है अपितु यह समान रूप से हर किसी की बंधुआ मजदूरी को वर्जित करता है।

इस कानून के द्वारा हर तरह की बंधुआ मजदूरी चाहे वो किसी सामाजिक रीति-रिवाज़ के अंतर्गत हो रही हो, किसी अनुबंध या करार द्वारा हो रही हो, या अन्य किसी कारण से हो रही हो, वर्जित है। कानून के अनुसार बंधुआ मजदूरों को चाहे जो भी ऋण अदा करना हो, वह उसे देने के लिए बाध्य नहीं है। कानून में बंधुआ मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति पर तथा इससे जुड़े अन्य बातों पर दंड का भी प्रावधान है। धारा 16 से धारा 23 में इससे जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए दंड का वर्णन किया गया है। इस कानून के अंतर्गत किए गए अपराधों पर सुनवाई का अधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट को है, जिसे इस कार्य के लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदत्त है। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार किसी भी दीवानी अदालत को इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है और न ही किसी चल रही कार्यवाही को रोकने का।

इस अधिनियम में विजिलेंस कमेटी बनाने का भी प्रावधान है, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत हो रहे किसी भी अपराध के खिलाफ विजिलेंस कमेटी को शिकायत की जा सकती है। यह शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है जो उससे सम्बंधित है।

6 कारखाना अधिनियम, 1948

भारत में कारखाना अधिनियम एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून है जो विस्तृत रूप से कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों एवं काम करने के लिए अनुकूल वातावरण की रूपरेखा बताता है। इस अधिनियम में बच्चे और किशोर को अलग-अलग परिभाषित किया है। अधिनियम की धारा 2 (बी) के अनुसार किशोर (adolescent) वह है जिसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच की हो। धारा 2 (सी) के अनुसार बच्चा (child) वह है जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। धारा 2 (डी) के अनुसार युवा व्यक्ति (young person) वह है जो या तो अधिनियम के अनुसार बच्चा है अथवा किशोर है।

युवा व्यक्तियों के लिए निषेध -

1. कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो कारखाने में काम नहीं कर सकता। (धारा 67)
2. 14 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा सिर्फ फिटनेस का प्रमाणपत्र मिलने की स्थिति में ही कारखाने में काम कर सकता है।
3. किशोर से दिन में सिर्फ 4-5 घंटे ही काम करवाया जा सकता है, वो भी रात में नहीं करवाया जा सकता। (धारा 71)
4. किशोर को किसी भी तरह के खतरनाक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। (धारा 23)
5. किसी भी बच्चे या किशोर को किसी भी तरह के खतरनाक वातावरण में काम नहीं करवाया जा सकता।

बच्चों का रजिस्ट्रेशन

जो भी बच्चा कारखाने में काम कर कर रहा हो उसकी पूर्ण जानकारी मैनेजर को रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए, जिसमे उसका नाम, पता, जो काम कर रहा हो उसका विवरण, फिटनेस प्रमाणपत्र का विवरण अवश्य होना चाहिए।

सहायता

इस अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन होने पर उसकी जानकारी श्रम आयुक्त को अथवा सम्बंधित थाने में लिखित रूप से दी जा सकती है।

7 एकीकृत बाल संरक्षण योजना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) बच्चों के संरक्षण तथा विकास के लिए विशेष कानूनों के निर्माण का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए भारत में कई विशेष कानूनों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाया गया था, जिसे सन् 2009 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। यह एकीकृत योजना बच्चों को संरक्षण एवं जरूरी वातावरण देने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए लायी गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करना एवं उनके शोषण तथा उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकना है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य यह हैं

1. बच्चों के संरक्षण हेतु मौजूदा ढांचे को मजबूती प्रदान करना।
2. बच्चों की सुरक्षा हेतु उचित जानकारियां प्रदान करना।
3. सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों में सामंजस्य स्थापित करना।
4. बच्चों के अधिकारों एवं उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए जन-जागृति लाना।
5. बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं में मानक स्थापित करना।
6. बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण देना।

योजना के मूल-सिद्धांत

1. बच्चों की सुरक्षा सर्वप्रथम परिवार की जिम्मेदारी है जिसमें समाज तथा सरकारों का योगदान जरूरी है।
2. बच्चों के लिए सबसे सुखद जगह प्यार एवं देखभाल करने वाला परिवार ही है।
3. बच्चों के निजता एवं गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए।
4. भेदभाव रहित बचपन।

5. बच्चों के अनुरूप योजनाएं बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना।

6. बच्चों हेतु लचीले कार्यप्रणाली का निर्माण।

7. बच्चों हेतु जवाबदार बनाना।

उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों पर तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना का निर्माण किया गया जिसमें बच्चों के हितों को संरक्षित करने वाले विभिन्न कानूनों को समाविष्ट किया गया। साथ ही विभिन्न भागीदारियों जैसे सरकार-समाज, समाज-व्यक्ति को भी महत्व दिया गया ताकि बच्चों के संरक्षण एवं सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके। इस योजना में बच्चों से जुड़े सभी कानूनों एवं मुद्दों को साथ लाकर एक पूर्ण सारगर्भित नीति बनाने का प्रयास भी किया गया ताकि बच्चों से जुड़े मुद्दों को समझा जा सके।

बालक शब्द की परिभाषा

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक से वह बालक अभिप्रेत है

- जो किसी मकान या स्थापित स्थान या आवास के बिना और जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधनों के बिना पाया जाता है।
- जो भीख मांगता हुआ पाया जाता है या जो गली में रहने वाला बालक या कार्य करने वाला बालक है।
- जो किसी व्यक्ति के साथ निवास करता है चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं और ऐसा व्यक्ति बालक को मारने या चोटिल करने की धमकी दे या ऐसी संभावना हो अथवा किसी बालक को मार चुका हो, उसका दुरुपयोग कर चुका हो या ऐसी कोई संभावना हो।
- जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ग्रस्त है या बीमार बालक है या रूघातक बीमारियों या असाध्य बीमारियों से प्रभावित है और उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं हो।
- जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं और ऐसे माता–पिता उसके संरक्षण के अयोग्य या असक्षम हैं।
- जिसके माता–पिता नहीं है और उसकी देख-रेख का कोई भी इच्छुक नहीं है। या उसे छोड़ दिया हो या खुद छोड़कर चला गया हो।
- जिसका लैंगिक दुरुपयोग या अविधिक कार्यों के प्रयोजन के लिए घोर दुर्व्यवहार प्रताड़ना या शोषण किया जा रहा हो।
- जो असुरक्षित पाया जाता है या मादक द्रव्यों के गलत प्रयोग या उनके व्यापार में शामिल किए जाने की संभावना है।
- जिसका अनुचित मुनाफे के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या संभावना है।
- जो किसी सशक्त विरोध सिविल अशांति या प्राकृतिक विपदा का आहत है।

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार

8 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (अ) के परिपालन हेतु बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र अधिक हो गयी हो और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 8) में दाखिला नहीं लिया तो भी धारा 4 के अंतर्गत दाखिला ले सकते हैं और उन्हें विशेष प्रावधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी चाहे उनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो गयी हो। धारा 6 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जहां भी स्कूल नहीं हो और उसकी जहां भी जरूरत हो वहां स्कूल का निर्माण करें। मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार यह सीमा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए निकट का गाँव या वार्ड है और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए 3 कि.मी. है।

सम्बंधित सरकारों का दायित्व

1. सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
2. जरूरत के अनुसार बच्चों हेतु नजदीकी स्कूल का निर्माण।
3. शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देना।
4. सभी जरूरी सुविधाएँ प्रदान करना।
5. समय समय पर निरीक्षण करते रहना।
6. अध्यापकों के लिए अभ्यास सत्र करना।

मध्य प्रदेश के नियमों के अनुसार सम्बंधित सरकारों के अन्य दायित्व

1. हर इलाके में रह रहे बच्चों का वर्गीकरण कर आंकड़े तैयार करना।
2. विकलांग बच्चों एवं कमजोर तबकों से आए बच्चों के अलग से आंकड़े रखना।
3. किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो।
4. कक्षा में हो रहे भेदभाव को रोकना एवं मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करना।
5. लड़कियों, अनुसूचित-जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आए बच्चों को मुफ्त गणवेश देना।

पालकों के कर्तव्य

धारा 10 के अनुसार सभी पालकों या संरक्षकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल में भर्ती कराएं।

अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल

समाज का हिस्सा होने के नाते अर्धसरकारी एवं गैरसरकारी स्कूलों का भी यह दायित्व है कि वह भी मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। इस हेतु कानून के अनुसार उन्हें भी अपने स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे कुल बच्चों में से 25 प्रतिशत बच्चों को बिना फीस के दाखिला देना होगा, ऐसे बच्चों को जो समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा में हुआ खर्च सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के प्रपत्र क्रमांक/राशि के/140/आरटीई/2015/6037 दिनांक 03/08/15 के अनुसार वंचित वर्ग से आए बच्चों के सत्यापन हेतु दो दस्तावेजों का होना आवश्यक है–

1. बच्चे के वंचित समूह और कमजोर वर्ग से होने का प्रमाण–पत्र।
2. पड़ोस की सीमा में निवास करने का प्रमाण–पत्र।

शारीरिक दंड का निषेध

अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना इस अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।

स्कूल प्रबंधन समिति

गैरसरकारी स्कूल (जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है) के अलावा हर स्कूल में इस अधिनियम के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति का गठन होना आवश्यक है जिसके कम से कम 75 प्रतिशत सदस्य वहां पढ़ रहे बच्चों के पालक होना आवश्यक है। कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत महिलाएं होना भी आवश्यक है। साथ ही समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आए बच्चों के पालकों का होना भी आवश्यक है।

कर्तव्य

1. स्कूल का निरीक्षण करते रहना।
2. स्कूल के विकास हेतु विकास योजनाएं बनाना।
3. स्कूल में आ रहे अनुदान के उपयोग को परखना।
4. अन्य कोई काम जो कि स्कूल एवं बच्चों के हित में हों।

इसके अलावा यह अधिनियम अध्यापकों की नियुक्ति और गुणवत्ता को भी वर्णित करता है। साथ ही स्कूल के पाठ्यक्रम निर्माण आदि के बारे में भी जानकारी देता है।

9 बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986

यह अधिनियम इस बात को परिभाषित करता है कि बच्चे कहाँ काम कर सकते है और कहाँ नहीं ? इस अधिनियम के अनुसार 14 साल से कम उम्र का मनुष्य बच्चा या बालक है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी बच्चे का अधिनियम के शेड्यूल में वर्णित जगहों पर कार्य करना वर्जित है या ऐसा भी कोई कार्य करना वर्जित है जो कि शेड्यूल B में वर्णित किसी पद्धति द्वारा किया जा रहा हो। अधिनियम की धारा 5 केन्द्र शासन को इस अधिनियम के लिए एक विशिष्ट समिति (अर्थ दंड या दोनों) बनाने का अधिकार देती है, वर्तमान में यह समिति श्रम एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत काम कर रही है। धारा 17 सम्बंधित सरकारों को जरूरत के अनुसार निरीक्षक (inspector) की नियुक्ति का जो कि इस कानून के अंतर्गत काम करे।

शेड्यूल A

इसमें वह कार्य वर्णित हैं जिनके करने से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता हो या स्वास्थ्य खराब हो सकता है जैसे –

1. रेल द्वारा दी जा रही कोई भी परिवहन सुविधा (व्यक्ति या सामान या अन्य), कोई भी निर्माण कार्य, सफाई का काम, प्लेटफॉर्म में कोई भी सामान बेचने या बनाने वाली जगह या रेल में कोई भी सामान बेचना।
2. कोई भी ज्वलनशील सामान या फटाके आदि बेचना या बनाने वाली जगह काम करना।
3. कसाईखाने में काम।
4. लोहा, पीतल, तांबा आदि बनाने वाली जगह या उससे जुड़े सामान बनाने वाली जगह पर काम।
5. खदानों में काम।
6. गैराज का काम या कोई भी वाहन बनाने का काम।
7. पॉलीथिन या फाइबर बनाने वाली जगह पर काम, आदि।

शेड्यूल B

इसके अनुसार कोई भी पद्धति जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य को कोई भी खतरा हो या उन्हें किसी भी

तरह का कोई नुकसान पहुंच सकता हो उसमें बच्चों द्वारा काम करना वर्जित है, जैसे

1. बीड़ी निर्माण।
2. गलीचों की बुनाई।
3. सीमेंट बनाना।
4. कपड़े की रंगाई, सिलाई।
5. ज्वलनशील वस्तुओं का निर्माण।
6. साबुन बनाना।
7. ऊन सफाई।
8. भवन आदि के निर्माण कार्य।
9. किसी भी प्रकार के जहरीले पदार्थों का निर्माण।
10. कोयले से जुड़े काम।
11. तेल सफाई।
12. कागज बनाना आदि।

काम करने की अवधि तथा अवकाश

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी बच्चे से 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, साथ ही 3 घंटे बाद कम से कम 1 घंटे के लिए आराम देना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार हर बच्चे को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देना जरूरी है, जिसे 3 माह में एक ही बार बदला जा सकता है।

बच्चों के काम की जानकारी

हर जगह जहां बच्चे काम कर रहे हों वहां उनका नाम, जो काम का रहे हों वह, बच्चों का पता एवं जो काम करवा रहा है उसकी जानकारी लिखना आवश्यक है। साथ ही बच्चों के काम की पूरी जानकारी रजिस्टर में लिखना जरूरी है और धारा 9 के अनुसार उसे सम्बंधित अधिकारी को देना भी। परन्तु अगर बच्चा अपने खुद के घर के काम में हो तो ऊपर लिखी जानकारी देना आवश्यक नहीं है।

सज़ा

अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन पर निम्न सज़ा का प्रावधान है–

1. धारा 3 के उल्लंघन पर 3 माह से 1 साल तक का कारावास अथवा 10 से 20 हजार तक का अर्थदंड या दोनों।

2. अगर दोबारा धारा 3 का उल्लंघन किया तो 6 माह से 2 साल तक का कारावास।

3. रजिस्टर नहीं बनाने या बच्चे के काम करने की जानकारी सम्बंधित अधिकारी को नहीं देने पर या इस अधिनियम के किसी और प्रावधान के उल्लंघन पर 1 माह तक का कारावास या 10 हजार तक का अर्थदंड या दोनों।

बालश्रम कानून में संशोधन

बालश्रम कानून में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के बाद अब बच्चों को सिर्फ जोखिम रहित पारिवारिक उपक्रम, टेलीविजन सीरियल, फिल्म, विज्ञापन और खेल की गतिविधियों (सर्कस को छोड़कर) से जुड़े कामों में ही रखा जा सकता है। इसके साथ एक शर्त है कि बच्चों से ये काम स्कूल की अवधि के बाद ही कराए जाएंगे।

संशोधन में किशोर की नई परिभाषा भी पेश की गई है ताकि जोखिमपूर्ण रोजगार में 14-18 साल के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सके। श्रम कानून (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन के तहत हालांकि माता-पिता या अभिभावकों के लिए दंड प्रावधानों को उदार बना दिया गया है। मौजूदा कानून में उन्हें अन्य नियोक्ता के बराबर ही सजा दी जाती थी। कानून में माता-पिता या अभिभावकों के लिए पहली बार अपराध के लिए कोई सजा नहीं है जबकि दूसरे या इसके बाद के अपराध में अधिकतम 10,000 रुपए की सजा दी जाएगी। पहले अपराध में नियोक्ता पर जुर्माना ढाई गुना बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है जो फिलहाल 20,000 रुपए है।

कानून तोड़कर किसी बच्चे या किशोर-किशोरी नियुक्त करने के दूसरे अपराध में 6-24 महीने की सजा के प्रावधान को बढ़ा कर 12-36 महीने तक किया गया है। रोजगार के प्रतिबंध की उम्र को बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत तय उम्र के प्रावधानों के साथ जोड़ा गया है। ऐसे मामलों में छूट प्रदान की गई है जिसमें बच्चे अपने परिवार या पारिवारिक उद्यमों में मदद कर सकते हैं। शर्त यह है कि ऐसे उद्यम जोखिमपूर्ण व्यवसाय से न जुड़े हों।

एक अन्य शर्त रखी गई है कि वे स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों के दौरान काम पर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के किसी दृश्य-श्रव्य मनोरंजन उद्योग में कलाकार के तौर पर काम करने की भी छूट प्रदान की गई है जिसमें विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन सीरियल या सर्कस को छोड़कर अन्य मनोरंजन या खेल की गतिविधियां शामिल हैं। यह छूट भी सशर्त है और इसमें तय सुरक्षा पहल लागू करना अनिवार्य है।

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून में किशोर की एक नई परिभाषा भी जोड़ने का प्रस्ताव है जिसके तहत (14 से 18 साल की उम्र) के किशोर-किशोरियों को जोखिम वाले पेशे और काम में लगाने पर प्रतिबंध होगा।

10 भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, भारत की सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक संहिता है। यह संहिता सन् 1862 में पहली बार अस्तित्व में आई। इस संहिता में भी बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों को लिए अलग प्रावधान हैं साथ ही बच्चों के द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यकलापों के लिए भी अलग से विभिन्न प्रावधान हैं।

बच्चों के द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यकलापों के लिए विशेष प्रावधान

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 6 एवं धारा 82 (साधारण अपराध) के अनुसार इस संहिता के अंतर्गत किया गया कोई भी अपराध अगर 7 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चे ने किया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी विधि विरुद्ध कार्य इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है।
2. संहिता की धारा 83 के अनुसार 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा इस संहिता के अनुसार किए गए विधि विरुद्ध कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे (अगर बच्चे को उस विधि विरुद्ध कार्य के परिणाम की समझ नहीं हो तो)।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों का वर्गीकरण निम्न है –

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विभिन्न अपराधों को वर्गीकृत/परिभाषित किया गया है, जिसके लिए नियत सजा का प्रावधान है, वैसे तो संहिता में परिभाषित सभी अपराध बच्चों के विरुद्ध हो सकते हैं परन्तु संहिता के अनुसार विशेषकर बच्चों के विरुद्ध होने वाले अधिकार निम्न हैं –

1. **बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना** – संहिता की धारा 305 के अनुसार किसी भी बच्चे द्वारा आत्महत्या कर ली गयी हो और उसे जिसने भी आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो वह व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराधी है, और उसे मृत्यु-दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के साथ ही अर्थदंड लगाया जाएगा।
2. **गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करना** – धारा 316 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानते समझते हुए ऐसा कोई कार्य करता है जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह इस धारा

के अधीन दोषी पाया जाएगा, और उसे 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

3. **माता/ पिता या पालक द्वारा बच्चे को लावारिस छोड़ना** – धारा 317 के अनुसार माता-पिता या बच्चे का पालन-पोषण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ देने के आशय से किसी भी असुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है तो इस धारा के अधीन अपराधी होगा। इस धारा में किए गए अपराध की सजा 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हैं।

4. **बच्चे का अपहरण** – अधिनियम की धारा 361 किसी भी बच्चे (लड़का 16 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम) का अपहरण करने पर लागू होगी। इस धारा के अन्तर्गत किए गए अपराध के लिए 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। (धारा 363 के अनुसार)

5. **बच्चे का अपहरण भिक्षावृत्ति के लिए** – धारा 363-ए सन् 1959 में इस संहिता में सम्मिलित की गयी इसके अनुसार –

   - बच्चों का अपहरण भीख मंगवाने के लिए किया जायेगा, या
   - बच्चे का कानूनी रूप से संरक्षक नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे का संरक्षण इसलिए करेगा कि उस बच्चे से भीख मंगवा सके,

   इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है तथा उसके लिए 10 वर्ष तक के कारावास के साथ ही जुर्माने का प्रावधान है।

6. **नाबालिग लड़कियों को सम्भोग हेतु भेजना** – भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए के अनुसार नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए उसे किसी और व्यक्ति के पास भेजना या भेजने का प्रयास करना इस धारा के अधीन अपराध है, जिसकी सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। यह धारा नाबालिग बालिकाओं को वेश्यावृत्ति में लगाने वालों पर भी लागू होगी।

7. **विदेशी लड़कियों का आयात करना** – धारा 366-बी किसी भी विदेशी लड़की को (21 वर्ष से कम आयु) को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए में वर्णित अपराध करवाने के उद्देश्य से भारत लाने पर लागू होती है, इस धारा के अधीन भी 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

8. **वेश्यावृत्ति हेतु नाबालिग को खरीदना/बेचना** – धारा 372 किसी भी नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति या अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध बनाने हेतु खरीदने/बेचने पर लागू होती है। इस अपराध के लिए 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

9. **बलात्कार** – भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में वर्णित बलात्कार अगर किसी ऐसी लड़की के साथ किया जाता है जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो धारा 376 (2) के अनुसार इस अपराध के लिए कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ ही दंड का प्रावधान है।

बच्चे के शरीर पर से कोई संपत्ति चुराने के लिए अपहरण

सात साल की सजा और जुर्माना। (धारा 367)

वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना

अठारह साल से कम उम्र के व्यक्ति (यानि बच्चे) को वेश्यावृत्ति या सम्भोग के लिए बेचने, किराए पर देने का अपराध। दस साल की सजा और जुर्माना। (धारा 372)

वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना

अठारह साल से कम उम्र के व्यक्ति (यानि बच्चे) को वेश्यावृत्ति या सम्भोग के लिए बेचने, किराए पर लेने का अपराध। दस साल की सजा और जुर्माना। (धारा 373)

कानून के विरुद्ध श्रम के लिए विवश करवाना

किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कम करने के लिए विधि विरुद्ध विवश करना। अठारह साल से कम उम्र के व्यक्ति (यानि बच्चे) को वेश्यावृत्ति या सम्भोग के लिए बेचने, किराए पर देने का अपराध। एक साल की सजा और जुर्माना। (धारा 374)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008

- बलात्कार के मामलों की सुनवाई यथासंभव महिला न्यायाधीश करेंगी। यह सुनवाई, जहां तक व्यवहार्य हो बंद कमरे में होगी।
- पीड़ितों के बयान उनकी पसंद की जगह पर दर्ज किए जाएंगे।
- बच्चों के साथ बलात्कार की घटना की छानबीन सूचना दर्ज होने के तीन महीनों में पूरी हो जाना चाहिए।

11 अनैतिक मानव दुर्व्यापार कानून, 1956

यह अधिनियम मुख्यत: वेश्यावृत्ति हेतु मनुष्यों के व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम वयस्कों एवं अवयस्कों दोनों के ही दुर्व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा है, बच्चे का अर्थ लड़का एवं लड़की दोनों से ही है। अधिनियम घरेलू कार्यों, बाल मजदूरी या अंगों के व्यापार आदि के लिए मनुष्यों के व्यापार पर कोई बात नहीं करता है।

इस अधिनियम में बाल वेश्यावृत्ति से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न सजा का प्रावधान है जैसे –

1. अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, और वह जानबूझकर या अनजाने में बाल वेश्यावृत्ति से कमा रहा हो, दोषी है और उसे 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
2. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना या खरीदने का प्रयास करना, या वेश्यावृत्ति हेतु किसी भी बच्चे के साथ जाने पर या वेश्यावृत्ति हेतु बच्चे को लेकर जाने पर कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
3. धारा 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि देह व्यापार की जगह से पकड़ा जाता है उसके बारे में यह माना जाएगा कि वह इस अपराध में संलिप्त है, जब तक की वह इसे झूठा नहीं साबित कर देता। और अगर कोई बच्चा देह व्यापार की जगह में पाया जाता है और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद यह साबित होता है कि बच्चे के साथ लैंगिक अपराध किया गया है तो उस लैंगिक अपराध को व्यापार हेतु किया गया है, यही माना जाएगा।
4. अधिनियम की धारा 7 कुछ चिन्हित जगहों (जगहों का चयन राज्य सरकारें करेंगी) पर देह व्यापार करने पर लागू होगी, और यही अपराध अगर बच्चों के साथ किया गया हो तो उसके लिए कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही यदि इस धारा का अपराध बच्चे के साथ किसी होटल में किया गया हो तो उस होटल की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है।

इस अधिनियम की धारा 16 में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिए गए हैं कि पुलिस या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर देह व्यापार चलने का संदेह हो, वह उसे रोकने के लिए कार्यवाही का आदेश दे सकता है। अधिनियम धारा 17 के अनुसार धारा 16 में वर्णित जगह से अगर किसी बच्चे को बचाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में सुरक्षा के लिए भेज सकता है।

यह कानून केवल देह व्यापार में मनुष्यों के उपयोग को रोकने हेतु बनाया गया है, और इसमें कुछ विशेष प्रावधान बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों की सजा निर्धारित करते हैं।

भारत सरकार का गृह विभाग भारत में अपराध शीर्षक वाली रिपोर्ट में के अंतर्गत ही बच्चों के खिलाफ अपराधों की श्रेणी और संख्या दर्ज करता है। अगस्त 2014 में भारत की संसद में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 से जून 2014 के बीच 3.25 लाख बच्चे गुम हुए। यानी हर साल एक लाख बच्चे गायब हो रहे हैं। इनमें लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है।

12 सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000

इस अधिनियम के अनुसार बच्चा वह माना जाएगा जो कि 18 वर्ष से कम उम्र का हो। इस अधिनियम की दो धाराओं में विशेष रूप से बच्चों से जुड़े अपराध का जिक्र किया गया है।

धारा 67 (ब) के अनुसार बच्चों से जुड़ी किसी भी यौन सामग्री (वीडियो, ऑडियो या लिखित सन्देश) के प्रसारण या वितरण पर सम्बंधित व्यक्ति को 5 साल तक का कारावास तथा 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और यही अपराध दोहराने पर 7 साल तक का कारावास तथा 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही नेट पर बच्चों के यौन संबंधों को दिखाने या जोड़ने पर भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। परन्तु यह धारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तक ही सीमित है। विज्ञान, साहित्य या सिखाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रकाशन इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

धारा 77 (अ) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध में समझौता करना वर्जित है और कोई भी न्यायालय इसमें समझौता नहीं करा सकता न ही ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

इसका मकसद है केबल टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रमों का नियमन करना, जिससे बच्चों को संरक्षण मिलता रहे। इसमें प्रावधान हैं कि केबल सेवा (टेलीविजन) पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का अपमान होता हो।

ऐसा कोई विज्ञापन केबल सेवा पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे की सुरक्षा खतरे में पड़े या उनमें अस्वस्थ तरीकों के बारे में दिलचस्पी पैदा हो या उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करे या उन्हें अमर्यादित अथवा अभद्र रूप में दिखाए।

इसमें पांच साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

13 चाइल्ड लाइन (फोन नं. 1098)

चाइल्ड लाइन भारत की जरूरतमंद बच्चों के लिए प्रथम 24 घंटे मुफ्त सहायता सेवा है। इसका उपयोग टोल फ्री नंबर 1098 लगा कर किया जा सकता है। इसकी पहुंच फिलहाल भारत के 81 शहरों तक है। इसकी मदद 0–18 वर्ष तक के बच्चे और अगर बहुत जरूरत हो तो 25 वर्ष तक के युवा ले सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

1. 1098 पर संपर्क करने के 1 घंटे के अन्दर चाइल्ड लाइन की टीम जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचती है।
2. जरूरत हो तो चाइल्ड लाइन पुलिस या अस्पताल या बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क करती है।
3. बच्चों के पुनर्वास में मदद करती है।
4. बच्चों को काम करने वाली जगह से रेस्क्यू करती है।
5. शोषित बच्चों की मदद करती है, उस जगह से मुक्त करने में एवं आगे की कानूनी कार्यवाही में भी।
6. घर से भागे बच्चों को घर भेजने में मदद करती है।
7. खो गए बच्चों को घर भेजने में मदद करती है।
8. जरूरत हो तो आसरा भी प्रदान करती है।

बच्चे बीमार हों तो भी ले सकते हैं मदद

अक्सर बच्चों के खिलाफ कोई अपराध होने पर चाइल्ड लाइन की मदद ली जा सकती है, लेकिन यदि कोई असहाय बच्चा बीमार हो तो ऐसी स्थिति में भी चाइल्ड लाइन बच्चे के लिए मददगार साबित हो सकती है।

14 विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण समिति

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए 2003 के नियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में विशेष पुलिस इकाई का गठन होना आवश्यक है। यह आम पुलिस से अलग बच्चों के लिए विशेष रूप से गठित इकाई है, जिसका कर्तव्य बच्चों को सहायता प्रदान करना एवं अधिनियम के अनुसार बच्चों को सही जगह पहुंचाना है। इसी इकाई के अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक बाल या किशोर कल्याण अधिकारी का होना भी आवश्यक है, जो इस अधिनियम के तहत आए मामलों में कार्य करेगा।

दायित्व/कर्तव्य

1. बच्चों को सहायता प्रदान करना एवं अधिनियम के अनुसार बच्चों को सही जगह पहुंचाना।
2. चाइल्ड लाइन तथा बच्चों के हकों के लिए काम करने वाले संस्थानों से भी संपर्क स्थापित करना आवश्यक है, ताकि इकाई की अधिक से अधिक पहुंच बन पाए।
3. इस इकाई का कार्य बच्चों द्वारा किये अपराधों की एफआईआर लिखना है।
4. एफआईआर लायक प्रकरण न हो तो उसे डेली रजिस्टर में लिख कर उस पर कार्य करना है।
5. मामलों की विशेष जांच कर रिपोर्ट तैयार करना।
6. देखभाल एवं जरूरतमंद बच्चों की मदद करना है।
7. जांच के दौरान बच्चों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करना।
8. सभी दायर मामलों की जानकारी रजिस्टर में लिखना।
9. बच्चों की पृष्ठभूमि की पूर्ण जानकारी आगे की कार्यवाही हेतु इकट्ठा करना।
10. जो बच्चा, इस इकाई के पास हो उसकी मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

मध्य प्रदेश में केवल गंभीर प्रकृति के मामलों (जिसमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है) में ही एफआईआर लिखी जा सकती है।

बाल कल्याण समिति

इसका गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 के

अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक राज्य को हर जिले में एक या जरूरत हो तो एक से अधिक बाल कल्याण समिति का गठन करना आवश्यक है। बाल कल्याण समिति का दायित्व अधिनियम की धारा 2 (डी) में वर्णित बच्चे अर्थात देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे के लिए काम करने का है। इस समिति में 5 लोग होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। इसकी बैठक हर सोमवार और गुरुवार को बाल गृह या सरकार द्वारा नियत किसी स्थान पर होगी। हर बच्चे को जिसे देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत की जरूरत है 24 घंटों के अन्दर समिति के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। बाल कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखना एवं संरक्षण हेतु उचित कदम उठाना है।

बाल कल्याण समिति को मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। बाल कल्याण समिति के मुख्य अधिकार एवं दायित्व निम्नानुसार हैं –

अधिकार

1. बाल कल्याण समिति को धारा 31 (1) के अनुसार बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, इलाज, विकास एवं पुनर्वास हेतु आदेश पारित करने का अधिकार है एवं उस आदेश को अंतिम माना गया है।
2. बच्चे को किसी अन्य उसके घर के नजदीक की बाल कल्याण समिति में स्थानांतरित करने का अधिकार भी समिति के पास है।
3. समिति चाहे तो बाल कल्याण अधिकारी या गैर सरकारी संस्थान या अन्य किसी जिम्मेदार अधिकारी को बच्चे के बारे में जांच करने का आदेश भी दे सकती है।
4. समिति को बच्चे की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने हेतु सम्बंधित अधिकारी या व्यक्ति को उचित आदेश देने का भी अधिकार है।
5. वह व्यक्ति जो कि बाल मजदूरी करवा रहा हो बाल कल्याण समिति उस पर अर्थ दंड लगा सकती है या बच्चे के लिए कोई उचित राशि का बांड भरवा सकती है।
6. अपने इलाके में काम कर रहे बच्चों से जुड़े संस्थानों की जांच का अधिकार।

दायित्व/कर्तव्य

1. खोये बच्चे को उसके परिवार को सौंपने या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने का कार्य।
2. दो साल से कम उम्र के बच्चे को जिसके पालकों की तलाश नहीं हो पा रही है, बाल कल्याण समिति उसे गोद देने या किसी ऐसे संस्था को सौंपेगी जो गोद देने का काम करती हो।
3. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट अनुसार 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिसके पालक की तलाश हो गयी हो पर वे बच्चे को पालने में असमर्थ हो तो ऐसे बच्चे को आश्रय गृह में रख जाएगा

तथा बाल कल्याण समिति आगे उस बच्चे के बारे में 4 माह के अन्दर फैसला करेगी।

4. समिति का दायित्व यह भी है की सुनवाई के दौरान बच्चे हेतु उपयुक्त माहौल तैयार करे।

5. समय समय पर खोये बच्चों की जानकारी लेती रहे।

6. जरूरत के अनुसार बच्चों के हित के लिए गैरसरकारी संगठनों एवं अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध बनाना।

7. पुलिस, श्रम विभाग या अन्य किसी विभाग जहां जरूरतमंद बच्चों के होने की संभावना हो संपर्क स्थापित करना।

इस प्रकार बाल कल्याण समिति का कार्य करने का दायरा बहुत विस्तृत है एवं उतना ही जिम्मेदारी वाला भी। बाल कल्याण समिति के सदस्य वही होने चाहिए जिन्हें बच्चों के क्षेत्र में काम करने का तजुर्बा हो।

बाल यौन शोषण

बाल यौन शोषण यानि पीडोफिलिया (या पेडोफिलिया) को आमतौर पर वयस्कों या बड़े उम्र के किशोरों (16 या उससे अधिक उम्र) में मानसिक विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह गैर-किशोर बच्चों (आमतौर पर 13 साल या उससे कम उम्र, हालांकि किशोरवय का समय भिन्न हो सकता है) के प्रति प्राथमिक या विशेष यौन रुचि द्वारा होता है। रोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीडी) ने पीडोफिलिया को 'वयस्क व्यक्तित्व और व्यवहार के विकार' के रूप में पारिभाषित किया है, जिसमें छोटे उम्र के किशोरों या बहुत छोटे उम्र के बच्चों के प्रति यौन रुचि होती है। डाइग्नोस्टिक एंड स्टेटिसटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के अनुसार पीडोफिलिया एक पैराफिलिया है जिसमें एक व्यक्ति छोटे बच्चों की ओर भावुक और बारम्बार यौन आग्रहों की दिशा में कल्पनाशील हो जाता है और जिसके बाद वह या तो यथार्थ में इसे पूरा करते है या जो संकट का कारण होता है या पारस्परिक समस्या होता है। आम उपयोग में पीडोफिलिया का अर्थ है किसी भी बच्चे के प्रति यौन रुचि या किसी भी बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार करना, इसे अक्सर 'पीडोफिलिक व्यवहार' कहा जाता है। पीडोफिलिया को सर्वप्रथम 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में नाम दिया गया था। 1980 के दशक के बाद से इस क्षेत्र में अनुसंधान किए गए।

15 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं राज्यों में राज्य आयोगों के गठन के साथ ही बाल न्यायालयों का गठन भी है, जिसके द्वारा बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के मामलों में त्वरित सुनवाई की जा सके। इस अधिनियम में बाल अधिकारों की परिभाषा को विस्तृत किया है। अधिनियम की धारा 2(अ) के अनुसार बाल अधिकार वह है जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989 (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989) में वर्णित किए गए हैं, तथा जिसे भारत द्वारा सन् 1992 में मंजूर किया गया है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इस आयोग में एक अध्यक्ष (प्रबुद्ध नागरिक जिसने बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट काम किए हों) एवं छः सदस्यों (जिनमें से 2 महिला सदस्य अवश्य रूप से हों) द्वारा गठित होगा। अधिनियम की इस धारा के परिपालन हेतु बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 बनाए गए।

बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के कार्य

अधिनियम की धारा 13 में बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के कार्यों को विस्तृत रूप से समझाया गया है, जिसका सार निम्नानुसार है –

1. विभिन्न कानूनों में उल्लेखित बच्चों की सुरक्षा आदि मुद्दों से जुड़े प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना एवं इस हेतु जरूरी सुझाव के साथ रिपोर्ट तैयार कर सम्बंधित सरकारों को भेजना।
2. बच्चों के अधिकार के हनन के मामलों में जांच पड़ताल करना।
3. घरेलू हिंसा, आतंकवाद, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं, शोषण, वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी आदि मामले जिससे कि बच्चों के अधिकारों का हनन होता है, की जांच पड़ताल करना एवं उसके सुधार के लिए सुझाव प्रेषित करना।
4. जरूरतमंद एवं विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों के सुधार हेतु गठित किए गए विभिन्न संस्थाओं कि जांच पड़ताल करना एवं उसके सुधार के लिए सुझाव प्रेषित करना।

5. अन्तर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों आदि का अध्ययन करना एवं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव प्रेषित करना।

6. बच्चों के अधिकारों के संबंध में होने वाले अध्ययनों को प्रोत्साहन देना।

7. बच्चों के अधिकारों के संबंध में विभिन्न माध्यमों द्वारा जागरूकता लाना।

8. स्व-संज्ञान लेकर अथवा शिकायत मिलने पर बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों में एवं बच्चों से जुड़े कानूनों के ठीक से क्रियान्वित न होने के मामलों में जाँच करना।

बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के शक्तियाँ

धारा 13 में वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आयोग को दीवानी न्यायालयों जैसे अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। जांच पड़ताल पूर्ण होने के पश्चात् अगर बच्चों के अधिकारों का हनन होना पाया जाता है तो आयोग इस हेतु निम्न प्रक्रियाएं अपना सकता है –

1. इस हेतु सम्बंधित सरकार को उचित कार्यवाही करने हेतु सुझाव देना।

2. सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में इस हेतु उचित दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकता है।

3. सम्बंधित सरकार के समक्ष पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के लिए अंतरिम सहायता देने का सुझाव दे सकता है।

राज्यों के लिए बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, कार्य एवं शक्तियाँ

इसी तरह अधिनियम की धारा 17 में राज्य स्तरीय आयोगों के गठन का प्रावधान है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी धारा 3 में वर्णित शर्तों अनुसार ही होगी। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार राज्य आयोगों के भी वही कार्य एवं शक्तियाँ हैं जो कि राष्ट्रीय आयोग की हैं।

बच्चों के लिए विशेष अदालतों का गठन

अधिनियम की धारा 25 में बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों एवं बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों को सुनने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है जिसका गठन राज्यों द्वारा जरूरत के आधार पर किया जा सकता है। साथ ही इन विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

16 गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

जन्म लेने का अधिकार और लिंग परीक्षण

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला का स्वेच्छा से गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के प्रयोजन से न किया जाए, तो इसमें तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार यदि महिला की सहमति और इच्छा के बिना गर्भपात कराया जाता है, तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
3. भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अनुसार किसी के द्वारा किसी महिला का गर्भपात करके के मकसद से किये गए कार्यों से यदि किसी महिला की मौत हो जाये, तो इसके लिए 10 साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
4. भारतीय दंड संहिता की धारा 315 के अनुसार शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित करके लिए किये गए कार्य के 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
5. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक; लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अनुसार गर्भ धारण करने और प्रसव से पहले लिंग परीक्षण करना और करवाना (दोनों कार्य) कानूनी अपराध हैं।
6. लिंग चयन या परीक्षण के लिए किसी भी रूप में मदद करना या विज्ञापन के जरिये उसका प्रचार करना भी कानूनी अपराध है। इसके लिए 3 से 5 साल तक की कैद और 10 हजार से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

लड़के और लड़कियों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गैर-बराबरी और भेदभाव को दर्शाता है हमारे देश का लिंग अनुपात। भारत में हालिया जनगणना (2011) के मुताबिक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, लेकिन 6 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या में लिंग अनुपात 919 है, यानी बच्चियों की संख्या कम हो रही है। यह हमारी पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था

का चरित्र ही है जो लड़कियों के साथ केवल भेदभाव ही नहीं करता है, बल्कि उन्हें जन्म लेने भी रोक देता है। कई इलाकों में लड़कियां अगर जन्म ले भी लें, तो बहुत छोटी उम्र में उनकी हत्या ही कर दी जाती है। कारण – लैंगिक भेदभाव से पनपी यह अमानवीय सोच और व्यवहार कि पुरुष से ही परिवार, समाज और जीवन चलता है, उसी से सम्मान भी है और उसी से सम्पन्नता भी।

स्वास्थ्य विज्ञान के तहत सुरक्षित प्रसव के लिए महिला और गर्भ में रह रहे बच्चे की जांच के लिए अल्ट्रा साउंड-सोनोग्राफी की तकनीक आई। इसी तकनीक का उपयोग गर्भ में ही बच्चे के लिंग की पहचान के लिए किया जाने लगा। विशेषज्ञ समाज – परिवार – सम्बंधित सदस्य को जांच करके यह बताने लगे कि गर्भ में लड़का है या लड़की, इसी के आधार पर जब यह पता चलने लगा कि गर्भ में लड़की है, तो उसकी गर्भ में ही हत्या की जाने लगी। इसे ही कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। यह माना जाता है कि जन्म के पहले लिंग परीक्षण करने और कन्या भ्रूण हत्या के मामले 1970 के दशक में सामने आए। शुरुआत में इनका दायरा बड़े शहरों और संपन्न तबकों के परिवारों तक सीमित रहा। इसके बाद सामाजिक संगठनों के इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की। वर्ष 1988 में महाराष्ट्र जन्म पूर्व जांच तकनीकी प्रयोग अधिनियम 1988 बना। इसके बाद देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को बहुत साफ तौर पर देखा जाने लगा। आंकड़े यह साबित कर रहे थे कि लड़कियों के साथ कोई गंभीर अपराध हो रहा है। तब केंद्र सरकार ने जन्म पूर्व तकनीकी दुरुपयोग (विनियम एवं रोकथाम) अधिनियम 1994 बनाया और लागू किया। इस कानून का मकसद था कि आनुवांशिक बीमारियों या जन्मजात विकृतियों, विकलांगता और लिंग सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने या उनके उपचार में जन्म पूर्व तकनीक के प्रयोग के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाना और यह सुनिश्चित करना कि लिंग परीक्षण के लिए इन तकनीकों का दुरुपयोग न हो।

इस कानून का क्रियान्वयन बहुत तत्परता के साथ नहीं हुआ। जिसके कारण जन्मपूर्व लिंग परीक्षण होते रहे और कन्या भ्रूण हत्याएं भी होती रहीं। एक तरफ तो समाज में बच्चियों के खिलाफ दुव्यवहार हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग और संस्थाएं मिलकर यह कोशिश कर रहे थे कि इस कानून को और कड़ा बनाया जाए और उसका पालन भी हो।

यह भी देखा गया कि कई लोग पहले से यह जांचें करवाने लगे हैं कि यदि महिला गर्भधारण करे तो गर्भ में लड़का अस्तित्व में आएगा या लड़की! यह जांच पुरुष के वीर्य में मौजूद क्रोमोसोम्स की पड़ताल करके की जाती है। इससे लोग यह तय करने लगे कि वे कोई ऐसा उपचार करवाएं जिससे लड़के का जन्म हो जाए। यह भी होने लगा कि समाज का एक तबका लड़के के जन्म के लिए भांति-भांति के उपचार करवाने लगा।

इसके बाद 1994 के कानून को गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम का रूप दिया गया। इस कानून में गर्भधारण के पहले ही लिंग की पहचान के लिए की जाने वाली कोशिशों को शामिल किया गया। इस कानून के तहत किसी भी तकनीक के माध्यम से गर्भधारण के पूर्व या जन्म पूर्व लिंग परीक्षण और लिंग की जानकारी की घोषणा करने पर

प्रतिबन्ध है। इतना ही नहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बंधित किसी भी तरह का विज्ञापन करना प्रतिबंधित है और दंडनीय भी है।

इस कानून के मुख्य बिंदु

1. कोई व्यक्ति, जिसमें कोई फर्टिलिटी क्षेत्र का विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की टीम सम्मिलित है किसी महिला या पुरुष या दोनों या उन दोनों या उनमें से किसी एक के कोई भी ऊतक, गर्भस्थ भ्रूण, कान्स्प्ट्स, फ्ल्यूड या गैमेट का न तो प्रबंध करेगा, न उसमें सहायता करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा। (धारा 3–क)
2. ऐसे व्यक्ति, प्रयोग शालाएं तथा क्लीनिक, जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, को अल्ट्रासाउंड मशीन आदि बेचने का प्रतिषेध है। (धारा 3–ख)
3. प्रसूति पूर्व तकनीक निम्नलिखित उद्देश्यों के अलावा उपयोग में नहीं लाई जायेगी –
   - अ. गुणसूत्री अनियमितताओं में,
   - आ. अनुवांशिक उपापचयी विकारों,
   - इ. हीमोग्लोबीनोपेथी,
   - ई. लिंग सम्बन्धी विकारों में,
   - उ. जन्मजात विषमता में,
   - ऊ. अन्य कोई अनियमितता या बीमारी जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल द्वारा निर्दिष्ट की जाए। (धारा 4 628)
4. इन स्थितियों में ही महिला का प्रसूति पूर्व परीक्षण किया जाएगा –
   1. गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो,
   2. गर्भवती महिला के दो या अधिक तात्क्षणिक गर्भपात या गर्भस्थ भ्रूण हानि हो चुकी हो,
   3. गर्भवती महिला ड्रग्स, विकिरण, इन्फेक्शन या केमिकल्स जैसे पोटेंशियली टेराटोजेनिक एजेंट्स के संपर्क में आई हो,
   4. गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक मंद या शारीरिक कुरचना जैसे स्पैस्टीसिटी या कोई अन्य अनुवांशिक बीमारी का इतिहास हो,
   5. अन्य कोई शर्त जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए, (धारा 4 638)
5. कोई भी व्यक्ति जो किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रा सोनोग्राफी करता है, वह अपने क्लीनिक में कानून में बताये गए सभी दस्तावेज सुरक्षित रखेगा तथा कोई कमी या अपूर्णता पाए जाने पर धारा 5 या धारा 6 का उल्लंघन माना जाएगा, जब तक वह व्यक्ति, जिसने अल्ट्रा सोनोग्राफी की है, उसे अन्यथा साबित न कर दे। (धारा 4 638)
6. बच्चे के जन्म से पहले कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व तकनीक प्रक्रिया का संचालन गर्भवती

महिला की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा। इसके साथ ही महिला को इसके सभी ज्ञात पक्षों के बारे में जानकारी दी जानी होगी। इसके साथ ही महिला के भाषा में ही इस प्रक्रिया के संचालन के लिए लिखित सहमति लेना होगी। (धारा 5)

7. कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी, जिसमें अल्ट्रा सोनोग्राफी सम्मिलित है, का संचालन भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु नहीं करेगा या करने का कारक बनेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार या कारण से गर्भधारण पूर्व या पश्चात लिंग चयन नहीं कर सकेगा। (धारा 6 क और ख)
8. इस कानून के तहत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन होगा, जो इस कानून के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और प्राधिकारियों की कामों का पुनरीक्षण करेगा और उपयुक्त कार्यवाही के सुझाव देगा। इसकी बैठक हर चार महीने में होना चाहिए। (धारा 16)
9. हर राज्य में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति की नियुक्त करना। ये प्राधिकारी इस कानून उल्लंघन की सूचना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है। यदि कहीं लिंग चयन होने की सूचना है तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकती है।

अपराध और सजा

1. कोई भी विशेषज्ञ या सेवा देने वाला, तकनीकी या व्यावसायिक सेवाएं देने वाला इसी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। पश्चातवर्ती दोष सिद्ध होने पर 5 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
2. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से सम्बंधित विज्ञापन करने पर 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना हो सकेगा।
3. राज्य चिकित्सा परिषद के जरिये कार्यवाही करके प्रकरण के निपटारे तक उस पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (डॉक्टर) का पंजीयन निलंबित किया जाएगा। पहली बार दोष साबित होने पर 5 साल के लिए और फिर से अपराध किए जाने पर हमेशा के लिए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। (धारा 23)
4. लिंग चयन के काम में मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 3 से 5 साल की जेल और 50 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। (धारा 23)। इसमें महिला का पति या अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। यदि यह साबित नहीं होता है कि गर्भवती महिला को इसके लिए मजबूर किया गया था, तो यह प्रावधान उस पर भी लागू होंगे। (धारा 24)
5. यदि महिला के परिजन लिंग चयन के लिए महिला को मजबूर करते हैं, तो उन्हें भी सजा दिए जाने का प्रावधान है।
6. इस कानून के तहत हर अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय होगा।

17 सुरक्षित व सम्मानजनक पर्यटन के लिए कोड

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) बाल वेश्यावृत्ति, यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों की बाल अश्लीलता और ट्रैफिकिंग) एक गैर सरकारी संस्थान है जो कि बाल वेश्यावृत्ति, यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों की बाल अश्लीलता और ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करता है।

यह संस्थान विश्व के 77 देशों में सक्रिय है, जिसमें भारत भी शामिल है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में बच्चों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा तथा बच्चों का किसी भी तरह की व्यवसायिक यौन शोषण से बचाना है।

इस संस्था के द्वारा यात्रा और पर्यटन में यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण के लिए आचार संहिता का निर्माण सन् 1996 में लिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यावसायिक शोषण को रोकना जैसे पर्यटन में बच्चों का शोषण, यौन शोषण हेतु बच्चों का क्रय-विक्रय, बच्चों के द्वारा कराई जा रही वेश्यावृत्ति को रोकना आदि हैं। इन्हीं उद्देश्यों और काम करने के तरीकों में कोड के अनुसार कोई भी पर्यटन स्थल में क्षेत्र से जुड़े किसी भी संस्थान, जो कि इस कोड का हस्ताक्षरी हो, को कोड की शर्तों का पालन करना होगा। कोड के अनुसार बच्चों की रक्षा के लिए 6 सामान्य चरणों का कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1. पुलिस तथा अन्य जरुरी संस्था की स्थापना।
2. बच्चों से जुड़े शोषण के मुद्दों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
3. बाल शोषण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना।
4. लिखित में बाल शोषण से जुड़े मुद्दे की जानकारी देना।
5. बाल शोषण के मुद्दे पर काम कर रहे अन्य संस्थाओं से सामंजस्य बनाना।
6. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

18 पर्यटन के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संहिता

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2010 में पर्यटन उद्योग के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण संहिता (सेफ एंड आनरेबल टूरिज़्म कोड) का अनुमोदन किया। इस कोड में बताया गया है कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति के अधिकार का पर्यटन गतिविधियों में सम्मान किया जाए व इन्हें सुनिश्चित किया जाए। इसके क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि पर्यटन उद्योग को स्थानीय लोगों व पर्यटकों, विशेष तौर पर बच्चों व महिलाओं कि सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस दिशा में पर्यटन द्वारा निम्नांकित दिशा–निर्देशों व श्रेणियों का संशोधन करना और इन्हें अनिवार्य बनाया गया है।

- होटलों के वर्गीकरण/पुर्नवर्गीकरण के लिए सुविधाओं का पुनरीक्षण।
- मान्यता प्राप्त एडवेंचर टूर ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा–निर्देश।
- मान्यता प्राप्त घरेलू टूर ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा–निर्देश।
- मान्यता प्राप्त अंतरगामी टूर ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा–निर्देश।
- मान्यता प्राप्त पर्यटन परिवहन ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा–निर्देश।
- मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसी ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा–निर्देश।

इन दिशा–निर्देश का एक बिंदु यह है कि इस कोड को स्वीकार करने वाले पक्षों को इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन को दिखाने के लिए अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखना होगा और नवीकरण के लिए जांच के समय समिति के समक्ष इसे प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा निम्न शर्तों को पूरा करना होगा –

- इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन आचार संहिता पर प्रतिबद्धता को घोषित करते हुए हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा।

- किसी भी स्टाफ की नियुक्ति के समय उसे भी इसके पालन की शपथ लेनी होगी और यह शपथ उसकी नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न होगा।
- मान्यता के लिए आवेदन देते समय जिन फर्मों में 25 से कम कर्मचारी हों, उन्हें एक और 25 से ज्यादा कर्मचारी होने पर दो फोकल बिंदु नामांकित किए जाएंगे।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए गए सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस आचार संहिता को सेवा प्रदाता के कार्यालय में प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
- पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों और आतिथ्य प्रदाताओं के लिए क्राइटेरिया एंड इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म का विकास किया है। इसमें बाल शोषण और बाल मजदूरी की भर्त्सना की गई है।

इन पहलकदमियों का उद्देश्य बेशक सही दिशा में है, लेकिन इनके अनुपालन के लिए जरूरी है कि केंद्र व राज्य सरकारें जरूरी व्यवस्थाएं व प्रक्रियाओं का भी विकास करें।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेखागार द्वारा जारी गई गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बच्चों के प्रति अपराधों में 53 प्रतिशत का इजाफा हुआ। साल 2013 में बच्चों पर अपराध के 58,224 मामले दर्ज हुए थे वहीं साल 2014 में यह बढ़कर 89,423 हो गए।

19 ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं?

परिस्थिति एक – प्लेटफार्म, बस स्टैंड पर कोई बच्चा या बच्ची लावारिस हालात में मिला है।

बच्ची सामान्य न हो। बदहवास या भयभीत लगे। या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लगे जो उसके साथ परिजनों सा व्यवहार न कर रहा हो तो पुलिस या आरपीएफ को सूचना दें। बाल कल्याण समिति के सदस्यों को सूचित करें। चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर भी खबर कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह ऐसे मामलों की तफ्तीश करें और बच्ची को उचित संरक्षण दें।

परिस्थिति दो – किसी बच्ची के साथ एक बड़े व्यक्ति ने यौनिक दुर्व्यवहार किया है।

मामले का पता चलने पर सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। पुलिस यदि मामले की सुनवाई न कर रही हो तो बाल कल्याण समिति के सामने जाया जा सकता है। बाल कल्याण समिति इस मामले में पॉक्सो के तहत कार्रवाई करवा सकती है। संबंधित बच्ची की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके साथ ही बच्ची को उचित संरक्षण गृह में पहुंचाया जाएगा।

परिस्थिति तीन – एक नाबालिग लड़के, लड़की की जबरन शादी करवाई जा रही है।

बाल विवाह के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रोटेक्शन अधिकारी से संपर्क साधा जा सकता है। संरक्षण अधिकारी ऐसे मामलों की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। यदि उनका संपर्क उपलब्ध न हो तो गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या चाइल्ड लाइन में भी जा सकते हैं।

परिस्थिति चार – एक बच्ची की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया गया है।

पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस यदि शिकायत की सुनवाई नहीं कर रही हो तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साइबर सेल में जाकर भी इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी शिकायत न सुने तो बाल कल्याण समिति में भी जा सकते हैं।

परिस्थिति पांच – किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है।

ऐसे मामलों को श्रम विभाग देखता है। सबसे पहले बाल मजदूरी की शिकायत श्रम विभाग में की

जा सकती है। या फिर चाइल्ड लाइन को सूचित किया जा सकता है। बाल कल्याण समिति भी ऐसे मामलों में सुनवाई करती है। इन तीनों इकाईयों की यह जिम्मेदारी है कि वह बाल मजदूरी में लगे बच्चों को छुड़ाएगी और उन्हें उचित संरक्षण और पुनर्वास देगी।

परिस्थिति छह - घर में बच्ची को बंधक बनाकर जबरन काम लिया जा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में पांचवी परिस्थिति के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। इस परिस्थिति में मानव तस्करी का मामला और जुड़ जाता है। आईसीपीएस के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई के पास भी जाया जा सकता है, इसका चैयरपर्सन कलेक्टर होता है। चाइल्ड लाइन को भी सूचित कर सकते हैं।

परिस्थिति सात - एक बच्ची को किसी प्रयोजन के लिए तस्करी कर ले जाया जा रहा है।

मानव तस्करी के मामले को रुकवाने के लिए सबसे पहले पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। इस तरह के मामलों में जेजे एक्ट के सेक्शन 26 के तहत भी कार्रवाई करवाई जा सकती है।

परिस्थिति आठ - बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चे का नामांकन उसकी उम्र के हिसाब से करवा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 साल तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। कोई भी स्कूल ऐसे बच्चों के नामांकन के लिए मना नहीं कर सकता है।

परिस्थिति नौ - स्कूल में बच्चे को शारीरिक दंड दिया गया है, इससे उसकी मानसिक, शारीरिक दशा प्रभावित हुई है।

स्कूल शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वय अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। यदि वहां सुनवाई न हो तो राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष भी जाया जा सकता है।

परिस्थिति दस - टूरिज्म क्षेत्र में बच्चों का शारीरिक, मानसिक शोषण किया जा रहा है।

बच्चों से संबंधित उपरोक्त बिंदुओं के तहत किसी भी बच्चे को संरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे टूरिज्म क्षेत्रों में पुलिस विभाग ने टूरिज्म पुलिस की विशेष व्यवस्था की है। ऐसे मामलों को विशेष पर्यटक पुलिस के पास भी जा सकते हैं।

परिस्थिति ग्यारह - एक किशोर बालक किसी वजह से ऐसे कार्य में आ गया है जो विधि विरुद्ध है।

ऐसे बच्चे के साथ पुलिस बुरा बर्ताव नहीं कर सकती है। उसे हथकड़ी लगाकर अभिरक्षा में नहीं ले सकती। इस दौरान पुलिस अपनी वर्दी में भी नहीं हो सकती है। ऐसे बालक को जब जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उस वक्त भी उसे कोई हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। जेजे बोर्ड के सामने सबसे पहले उसकी जमानत की कार्रवाई बिना शर्त की जानी चाहिए। जमानत एक बच्चे का

अधिकार है। ऐसे मामलों की सुनवाई अधिकतम चार माह की समयावधि में हो जानी चाहिए।

विशेष – बच्चों के साथ अपराध के सम्बन्ध में किसी भी मामले में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत सभी जिलों/ ब्लाक या ग्राम पंचायत स्तर की समिति के पास जाया जा सकता है। जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अधिकारी और पंचायत स्तर पर ग्राम सरपंच इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। यह समिति अपने क्षेत्र में होने वाले ऐसे सभी अपराधों के लिए बच्चों का संरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

पुलिस की भूमिका – बच्चों के विरुद्ध होने वाले उपरोक्त वर्णित किसी भी अपराध में या अन्य किसी प्रकार के अपराध के विरुद्ध विभिन्न कानूनों के अंतर्गत भिन्न–भिन्न इकाइयों का गठन किया गया है। किन्हीं कारणों से अगर आपके इलाके में किसी इकाई का गठन नहीं हुआ हो अथवा सम्बंधित इकाई से संपर्क नहीं हो पा रहा हो अथवा उनके बारे में जानकारी नहीं हो तो, बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध हेतु पुलिस को सूचना दी जा सकती है। पुलिस का यह दायित्व है कि वह उस अपराध को तुरंत रोके तथा बच्चे को उचित संरक्षण एवं सहायता प्रदान करे।

पुलिस को निम्न तरीकों से सूचित किया जा सकता है –

1. 100 नंबर पर फोन करके।
2. निकटतम थाने में घटना की लिखित जानकारी देकर या फोन करके।
3. किसी भी पुलिस के दफ्तर में लिखित सूचना देकर (स्वयं जाकर या पंजीकृत डाक द्वारा)।
4. पी.सी.आर. वैन को जानकारी देकर।

किसी भी बच्चे को संकट में देखें तो तुरन्त 1098 पर फोन करें।

आभार

इस पुस्तिका को तैयार करने में चिन्मय मिश्र, शुभेंदु भट्टाचार्यजी, जया सिंह, अनिल गुलाटी, रेखा श्रीधर, एस. बाबू, अदिति, दुरंग, प्रो. संदीप जोशी, मेहरून सिद्दीकी ने हमको मदद की। इसके साथ ही इसका स्वरूप गढ़ने, रुपरेखा बनाने और सामग्री उपलब्ध कराने में संस्थागत स्तर पर इक्वेशंस, क्राय, यूनीसेफ, हिफाजत ने सहयोग किया।

इस प्रक्रिया में हमेशा की तरह हमारे समूह में अरविन्द, फरहत, रोली, मनोज, सन्तोष, गुन्जन, सौमित्र, सोनू, कमलेश ने लगातार मदद की।

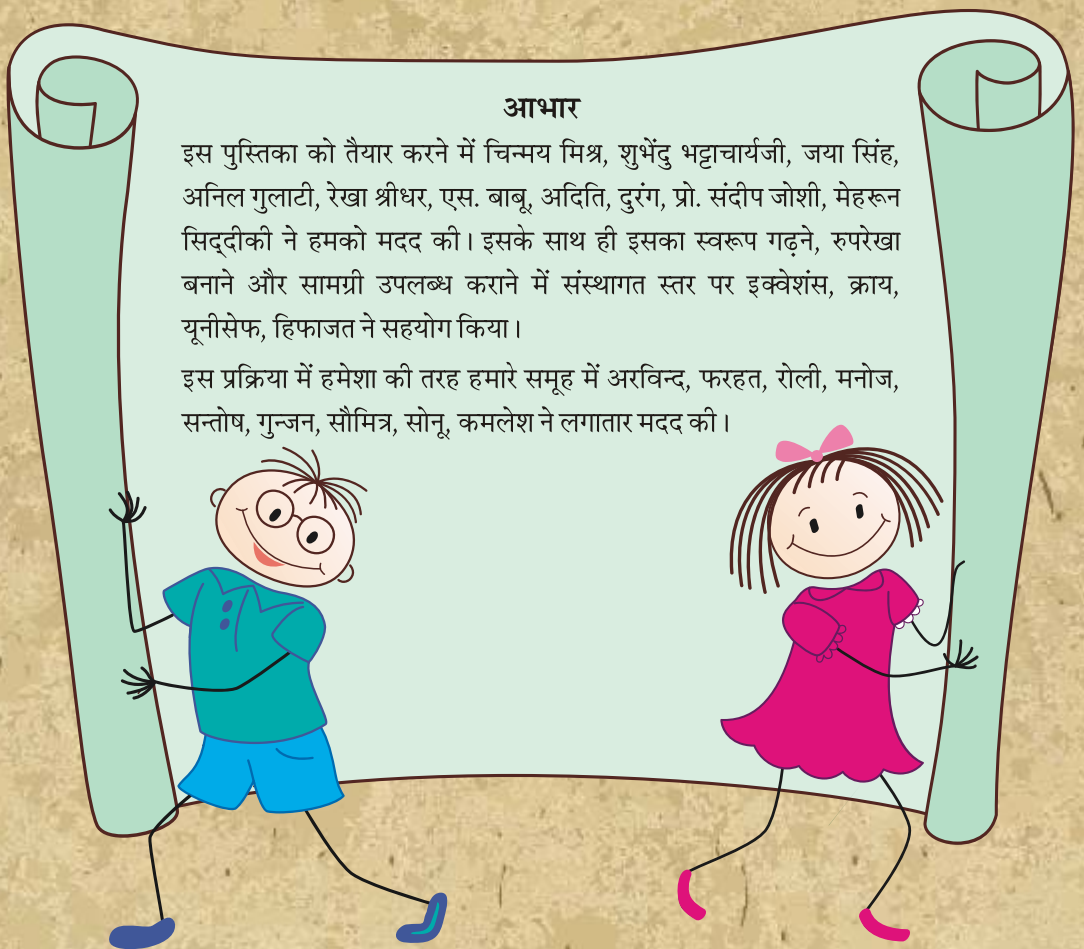

ISBN 9789381408292

बच्चे महज़ बच्चे नहीं होते

बच्चे महज बच्चे नहीं होते हैं
बच्चे या तो फलिस्तीनी होते हैं
या फिर इराकी होते हैं
कुछ बच्चे सीरियाई होते हैं
पाकिस्तानी भी होते हैं
हमारे बच्चे हिन्दुस्तानी होते हैं,
नए हिन्दुस्तान के बच्चे
केवल हिन्दुस्तानी नहीं होते हैं
वो कश्मीरी होते हैं
मणिपुरी किस्म के भी होते हैं
बस्तर उनकी पहचान होती है
बच्चे जाति भी होते हैं
वो सम्प्रदाय तो होते ही हैं
क्या वे शरणार्थी नहीं होते हैं
बच्चे सबसे आसान भोजन होते हैं
बाढ़ के, दुर्भिक्ष के, चक्रवात के,
बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं
उपनिवेशवाद के, हिंसक राष्ट्रवाद के,

बच्चों के हक एक जैसे नहीं होते
कितने जियेंगे वे
कितने बड़े होंगे वे
कितने पढ़े होंगे वे
यह तय होता है
राजनीति की मेजों पर और
हथियारों के बाजार में,

कहीं धरती जल रही है
बच्चे भी तो जल रहे हैं
कहीं डूब ला रहे हैं
पिघल कर बरफ के पहाड़,
बच्चे भी तो डूब रहे हैं
कारण सबको पता हैं
फिर भी जानकार सौदा करने में व्यस्त हैं
कितना जहर वे फैला सकते हैं,

आर्थिक मंदी छा रही है हमेशा की तरह
व्यस्त है सोचने में दलालों का समूह
कितना उन्हें बंधुआ वे बना सकते हैं

जो जुटे हैं हड़पने में सम्पदा जगत की
उनकी नज़र में
बच्चे ही तो हैं भविष्य के गुलाम,

सवाल बस यही मौजूं है
सबसे अच्छा शहर वह क्यों है
जहर जहाँ की हवा में रचा बसा है,
सवाल यह भी मौजूं है
बीमारी क्यों है विरासत
हमारी उनके लिए,
यह कैसी हकीकत है
कि कहीं यकीन नहीं बचा
पैमानों पर बस अब सवाल हैं,
क्या सर्जक ने उन्हें नहीं दी है
ग्रंथि बच्चों को समझने की
शायद उन्नति ने झड़ा दिया है उसे,

क्यों होती है शुरुआत अब
रोशनाई के जलसे की
बचपन की आहूति से ही;

MPISSR CARITAS-GOA Centre for Responsible Tourism Equations JAN UGAHI TRUST विकास संवाद

98267 20777